

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिकाएं राज्य की रूपरेखा, 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 11 एवं 31)

क.	सामान्य आंकड़े	विवरण	आंकड़े		
संक्र.					
1	क्षेत्र		308245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख.	जनसंख्या ¹ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा ² से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 29.50%)		44.30 प्रतिशत		
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8%)	69.69 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00%)	69.32 प्रतिशत		
6	*शिशु मृत्यु दर ³ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 39 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		52 प्रति 1000 जीवित बच्चे		
7	**जन्म के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत = 67.50 वर्ष)		63.30 वर्ष		
8	***जिनी कोएफीशियेन्ट ⁴				
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29)	0.29		
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.36		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2015–16 चालू मूल्य पर		₹ 565053 करोड़		
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2006–07 से 2015–16)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	14.52 प्रतिशत 14.27 प्रतिशत		
11	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर ⁵ (2006–07 से 2015–16)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	16.35 प्रतिशत 15.75 प्रतिशत		
12	जनसंख्या वृद्धि दर ⁵ (2006–07 से 2015–16)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	15.38 प्रतिशत 12.24 प्रतिशत		
ख.	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)		
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर	2006–07 से 2014–15 सामान्य संवर्ग के राज्य	2011–12 से 2014–15 मध्य प्रदेश	2014–15 से 2015–16 सामान्य संवर्ग के राज्य	2006–07 से 2014–15 मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्रतितियों के	14.74	16.74	13.40	12.29
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	15.08	16.92	12.55	10.67
ग.	करेतर राजस्व के	10.20	18.56	13.09	11.51
घ.	कुल व्यय के	16.71	17.96	15.52	11.27
ঙ.	पूँजीगत व्यय के	13.21	10.96	16.78	9.47
চ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	17.08	20.40	12.98	18.25
ছ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	18.70	20.60	18.42	22.97
জ.	वेतन एवं मजदूरी के	15.49	15.45	10.61	12.32
ঝ.	পेन्शन के	18.59	18.55	12.67	15.91
					11.79
					14.38

स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे पर आधारित हैं

* सितंबर 2014 का एस.आर.एस. बुलेटिन ** आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 *** जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय विवरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट मूल्य कम असमानता को दर्शित करता है। (2009–10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों को अंगीकृत किया गया है)

¹ अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

² गरीबी को मापने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट, योजना आयोग (जून 2014)

³ http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspx?status=3&menu_id=82)

⁵ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001–2026 (पुनरीक्षित दिसंबर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गवित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001–2026 को लिंग अनुसार कुल आवादी का प्रक्षेपण)

परिशिष्ट 1.2
भाग—क
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

वित्त लेखों की रूपरेखा 2015–16

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग—1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग—2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग—2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिवाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूँजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (समाप्त)

भाग—ख

31 मार्च 2016 को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

मद्देन्द्रिय	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	(₹ करोड़ में) वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	12 एवं 21
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	12 एवं 21
3. आरक्षित निधियां	657.94	543.93	11.55	102.46	12 एवं 21
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.47	5.93	8.18	21
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	7529.11	2245.12	5986.34	5 एवं 16
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.84	137.08	2186.26	7 एवं 18
3. प्रत्याभूतियां	9709.60	--	--	986.91	9 एवं 20

टिप्पणी: और अधिक विवरण हेतु कृपया वित्त लेखे देखें

परिशिष्ट 1.3
भाग—क
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट 1.3 का भाग—ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा, चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्पादकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों को निम्नानुसार दर्शाया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14 ^(P)	2014-15 ^(Q)	2015-16 ^(A)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12)	315561	380926	435790	484538	565053
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार

*2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2011-12 से 2014-15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की प्रतिशत अनुपात/उत्पादकता को भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।

नोट: P- अनंतिम अनुमान, Q- त्वरित अनुमान, A- अग्रिम अनुमान

परिशिष्ट 1.3 निरंतर
भाग—ख
राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार ने राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभाव में आया था। इस अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार के लिए निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम कर इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त करेगी तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य करेगी;
- मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन अनुसार, राज्य सरकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि 31 मार्च 2016 तक वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात उसे बनाए रखेगी अर्थात्;
 - (i) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम हो; तथा
 - (ii) पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल परादेय ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का 25 प्रतिशत या उससे कम हो।

यदि उपरोक्त उप—खण्ड (i) या (ii) में वर्णित किसी एक शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी कि वह उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.25 प्रतिशत से अधिक न रहे और यदि उपरोक्त उप—खण्ड (i) एवं (ii), दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि वह उस वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत से अधिक न रहे।

- वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूति को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केंद्रीय कर हस्तांतरण में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकलित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2015—16 हेतु बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्पावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्पावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि / विगत वर्ष की राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण भण्डार* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज / [(प्रारम्भिक शेष + कर्ज तथा अग्रिमों का अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां—राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम—राजस्व प्राप्तियां—विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा—ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां—मुख्य शीर्ष 2048—‘ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन’ के अंतर्गत लेखबद्ध व्यय को छोड़कर सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय
ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेतर प्राप्तियां—(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

परिशिष्ट 1.4
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिकाएं 1.1, 1.3 एवं 1.10.3; पृष्ठ 2, 10 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	62604	70427	75749	88641	105511
(i) कर राजस्व	26973(43)	30582(43)	33552(44)	36567(41)	40214(38)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12517(46)	14856(49)	16650(50)	18136(50)	19806(49)
राज्य उत्पाद शुल्क	4317(16)	5078(17)	5907(18)	6695(18)	7923(20)
वाहन कर	1357(5)	1531(5)	1599(5)	1824(5)	1933(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3284(12)	3944(13)	3400(10)	3893(11)	3868(10)
भू-राजस्व	279(1)	444(1)	366(1)	243(1)	277(1)
माल तथा यात्री कर	2047(8)	2395(8)	2579(8)	2686(7)	3085(8)
अन्य कर	3172(12)	2334(8)	3051(9)	3090(8)	3322(8)
(ii) करेतर राजस्व	7483(12)	7000(10)	7705(10)	10375(12)	8569(8)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	18219(29)	20805(30)	22715(30)	24107(27)	38398(37)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9929(16)	12040(17)	11777(16)	17592(20)	18330(17)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	23	31	36	28	26
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	3	9	2	1	2
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	9123	33	93	6765	162
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	71753	70500	75880	95435	105701
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6750	8791	9541	15069	19985
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	5718	7234	8328	13696	18659
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1032	1557	1212	1372	1326
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	78503	79291	85421	110504	125686
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	100	--	--	300	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	76315	86248	94811	110295	132772
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	154918	165539	180232	221099	258458
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	52694(68)	62968(79)	69870(81)	82373(77)	99771(83)
आयोजना	16017(30)	18349(29)	19427(28)	26515(32)	31452(32)
आयोजनेतर	36677(70)	44619(71)	50443(72)	55858(68)	68319(68)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	16229(31)	17705(28)	20591(29)	22365(27)	25700(26)
सामाजिक सेवाएं	20297(38)	24375(39)	27768(40)	32067(39)	42651(43)
आर्थिक सेवाएं	12965(25)	16823(27)	16972(24)	23715(29)	25529(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	3203(6)	4065(6)	4539(7)	4226(5)	5891(6)
11. पूँजीगत व्यय	9055(12)	11567(14)	10813(13)	11878(11)	16835(14)
आयोजना	9023(100)	11543(100)	10770(100)	11821(100)	16678(99)
आयोजनेतर	32(0)	24(0)	43(0)	57(0)	157(1)
सामान्य सेवाएं	167(2)	205(2)	197(2)	258(2)	549(3)
सामाजिक सेवाएं	1599(18)	1621(14)	1899(17)	2070(18)	3024(18)
आर्थिक सेवाएं	7289(80)	9741(84)	8717(81)	9550(80)	13262(79)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	15760(20)	5378(7)	5077(6)	12535(12)	3158(3)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	4	7	2	1	2
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	77513	79920	85762	106787	119766
15. लोक ऋण का पुनर्मुग्तान	3150	3584	4005	4921	4860
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	2520	2936	3243	4084	3948

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	630	648	762	837	912
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	100	--	--	300	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	80763	83504	89767	112008	124626
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	1	--
19. लोक लेखा संवितरण	73279	82736	93064	108165	128337
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	154042	166240	182831	220174	252963
भाग ग. घाट					
21. राजस्व घाटे(−) / राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	9910	7459	5879	6268	5740
22. राजकोषीय घाटा(−) / राजकोषीय आधिक्य(+) (4-14)	-5760	-9420	-9882	-11352	-14065
23. प्राथमिक घाटा(−) / आधिक्य(+) (22+24)	-460	-3846	-3491	-4281	-5974
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5300	5574	6391	7071	8091
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10830	13487	14953	18668	22656
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	-
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶	315561	380926	435790	484538	565053
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	81757	90168	96826	108688	127144
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	5605	7720	9978	20124	27530
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11108	14752	21472	31885	40171
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	45	55	201	68	91 ⁷
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	9356	2413	34465	14344	15477 ⁷
भाग ड. राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.55	8.03	7.70	7.55	7.12
स्वयं के करेतर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.37	1.84	1.77	2.14	1.52
केन्द्रीय अंतरण ⁸ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.92	8.62	7.91	8.61	10.04
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पावकता (प्रतिशत)	0.80	0.93	0.78	1.89	1.91
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.56	20.98	19.68	22.04	21.20
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	123.81	113.48	113.22	120.47	113.51
राजस्व व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	67.98	78.79	81.47	77.14	83.30
सामान्य सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	21.16	22.47	24.24	21.18	21.93
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	28.43	32.69	34.67	31.98	38.16

⁶ वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

⁷ वित्त लेखे 2015-16।

⁸ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	46.28	39.75	35.79	42.88	34.99
पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	11.68	14.47	12.61	11.12	14.06
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय / कुल व्यय (प्रतिशत)	11.47	14.22	12.37	10.88	13.60
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(−) / आधिक्य(+) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.14	1.96	1.35	1.29	1.02
राजकोषीय घाटा(−) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.83	-2.47	-2.27	-2.34	-2.49
प्राथमिक घाटा(−) / आधिक्य(+) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.15	-1.01	-0.80	-0.88	-1.06
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.02	15.07	14.57	15.54	16.23
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.91	23.67	22.22	22.43	22.50
राजकोषीय देयताएं / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	130.59	128.03	127.82	122.62	120.50
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)9401	(+)7788	(+)3326	(-)108	(+)4634
ऋण मोचन (मूलधन+व्याज) / कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.95	0.86	0.98	0.87	0.79
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)
चातू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	18112	14101	17069	19616	22851
वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	0.72	0.67	0.63	0.62	0.63

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों को तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मद्दें अथवा प्राप्ति योग्य मद्दें अथवा मद्दें जैसे मूल्य द्वारा या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2016 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 1009.49 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 566.36 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 443.13 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आर्डि. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व आधिक्य बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.5
भाग—क
वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
2014-15	2015-16	2014-15	2015-16				
योग	योग	योग	आयोजनेतर	आयोजना	योग		
भाग—क: राजस्व							
88640.78	I. राजस्व प्राप्तियाँ	105510.60	82372.82	राजस्व व्यय	68319.27	31451.43	99770.70
36567.12	-कर राजस्व	40213.66	22365.11	सामान्य सेवाएं	25370.91	329.35	25700.26
			32067.15	सामाजिक सेवाएं	22845.98	19804.95	42650.93
10375.23	-करेतर राजस्व	8568.79	16222.33	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12514.61	4540.13	17054.74
			4521.34	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2628.69	2599.33	5228.02
24106.99	-संघ करों में राज्य का भाग	38397.84	3277.10	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1515.57	4758.40	6273.97
4425.31	-आयोजनेतर अनुदान	3990.10	154.13	-सूचना एवं प्रसारण	177.82	9.48	187.30
			2214.12	-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	407.29	2560.77	2968.06
9010.60	-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	13370.61	330.66	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	192.48	87.04	279.52
			5227.01	-समाज कल्याण एवं पोषण	5270.72	5249.46	10520.18
4155.53	-केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	969.60	120.46	-अन्य	138.80	0.34	139.14
			23715.12	आर्थिक सेवाएं	15125.15	10403.37	25528.52
			8290.58	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3501.58	3974.48	7476.06
			6617.12	-ग्रामीण विकास	1816.84	4290.98	6107.82
			845.20	-सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	584.51	45.94	630.45
			5105.75	-ऊर्जा	6842.95	375.89	7218.84
			1286.49	-उद्योग एवं खनिज	1084.03	1393.27	2477.30
			1288.35	-परिवहन	1209.49	-	1209.49
			106.09	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.01	202.49	210.50
			175.54	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	77.74	120.32	198.06
			4225.44	सहायता अनुदान एवं अशादान	4977.23	913.76	5890.99
	II. भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घटाता		6267.96	भाग ख में अग्रेनीत राजस्व आधिक्य			5739.90
88640.78	योग	105510.60	88640.78	योग			105510.60

भाग—ख: अन्य								
प्राप्तियां			संवितरण					
2014-15		2015-16	2014-15			आयोजनेतर	आयोजना	योग
योग		योग	योग					
4477.03	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	5401.96	--	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			
27.73	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	26.47	11877.68	पूँजीगत परिव्यय	156.90	16678.57	16835.47
				257.16	सामान्य सेवाएं	121.90	427.32	549.22
				2070.31	सामाजिक सेवाएं	1.96	3022.53	3024.49
				321.91	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	0.58	757.74	758.32
				240.48	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.82	225.24	226.06
				1090.44	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	0.45	1526.96	1527.41
				-	-सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				295.36	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.03	409.18	409.21
				100.99	-समाज कल्याण एवं पोषण	0.08	57.73	57.81
				21.13	-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	45.68	45.68
				9550.19	आर्थिक सेवाएं	33.04	13228.72	13261.76
				171.40	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	117.20	117.20
				1248.89	-ग्रामीण विकास	--	2418.78	2418.78
				4127.16	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	26.36	6346.34	6372.70
				910.39	-ऊर्जा	1.64	548.05	549.69
				136.48	-उद्योग एवं खनिज	5.04	242.65	247.69
				2874.78	-परिवहन	--	3377.04	3377.04
				20.88	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	1.30	1.30
				60.21	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	177.36	177.36
6765.05	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	162.32	12534.61	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	2110.65	1047.26	3157.91
				11839.75	-बिजली परियोजनाओं के लिए			2595.20
				392.41	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये			256.70
				292.16	उद्योग तथा खनिज के लिये			259.00
0.06		-सरकारी कर्मचारियों से	0.03	-	-सरकारी कर्मचारियों को			-
6764.99		-अन्यों से	162.29	10.29	-अन्यों को			47.01
0.91	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.93	0.98	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--	--	1.94

6267.96	VII	अधोनीत राजस्व आधिक्य	5739.90	--	अधोनीत राजस्व घाटा	--	--	
15068.71	VII I	लोक ऋण प्राप्तियां	19985.30	4920.52	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	--	--	4860.36
13696.48		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	18659.18	4083.90	-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	3948.42
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन						
1372.23		-केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1326.12	836.62	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			911.94
300.00	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	300.00	आकस्मिकता निधि को विनियोग			--
निरंक	X	आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	1.08	1.08	आकस्मिकता निधि से व्यय			--
110294.74	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	132772.19	108165.30	लोक लेखा व्यय			128336.75
3143.44		-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	3498.21	2181.13	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			2473.70
1171.96		-आरक्षित निधियां	2719.07	1028.17	-आरक्षित निधियां			986.05
76098.86		-उचंत तथा विविध	87337.99	75636.93	-उचंत तथा विविध			85881.02
13531.91		-प्रेषण	15867.66	13588.93	-प्रेषण			16220.77
16348.57		-जमा एवं अग्रिम	23349.26	15730.14	-जमा एवं अग्रिम			22775.21
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		5401.96	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष			10898.72
					-खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				199. 32	-रिजर्व बैंक में जमा			1009.49 ⁹
				7.86	-स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			1.78
				5194.78	-रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			9887.45
143202.13		योग	164091.15	143202.13	योग			164091.15

⁹ मार्च 2016 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 1009.49 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 566.36 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 443.13 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.5 (समाप्त)

भाग—ख

31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2016 की स्थिति में
69007.68	आन्तरिक ऋण—	83718.44
43149.52	ब्याज सहित बाजार कर्ज	56140.26
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
73.00	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	62.70
6525.16	अन्य संस्थाओं से कर्ज	7333.75
19259.61	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिमूलियां	20181.34
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13253.83	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	13668.01
1.88	1984—85 से पूर्व के कर्ज	1.88
42.82	आयोजनेतर कर्ज	39.16
13209.13	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	13626.97
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
12659.14	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	13682.37
7771.83	जमा	8345.83
6398.98	आरक्षित निधियां	8132.00
583.65	उचन्त तथा विविध शेष	2047.61
1309.25	प्रेषण शेष	956.14
111484.36	योग	131050.40
	परिसम्पत्तियां	
110345.99	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय—	127147.75
16104.05	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	16599.57
94241.94	अन्य पूंजीगत परिव्यय	110548.18
37841.90	कर्ज तथा अग्रिम	40837.49
31414.55	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	34009.75
6398.61	अन्य विकास कर्ज	6799.07
28.74	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.67
4.86	अग्रिम	4.80
--	प्रेषण शेष	--
5401.96	रोकड़—	10898.72
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
199.32	रिजर्व बैंक में जमा	1009.49
7.86	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	1.78
4971.31	रोकड़ शेष निवेश	9485.24

31.03.2015 की स्थिति में	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2016 की स्थिति में
403.47	आरक्षित निधि निवेश	402.21
-42110.35	सरकारी लेखाओं में घाटा—	-47838.36
-6267.96	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-5739.90
0.07	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.01
1.86	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	6.99
731.52	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	4.89
301.08	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-36876.92	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-42110.35
111484.36	योग	131050.40

परिशिष्ट 1.6

श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेप्डर बजट के उपयोगिता में कमी का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग					
श्रेणी-1					
1	0762—कन्या शिक्षा परिसर	55.68	14.25	41.43	74.41
2	4691—कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी)	1.64	0	1.64	100.00
3	6813—साईकिल का प्रदाय	2.71	0.84	1.87	69.00
श्रेणी-2					
4	2773—प्राथमिक शालाएं	1128.39	811.99	316.40	28.04
5	0364—आदर्श उच्चतर माध्यमिक	16.23	10.70	5.53	34.07
6	0581—उच्चतर माध्यमिक	550.07	49.34	500.73	91.03
7	3496—माध्यमिक शालाएं	718.31	591.54	126.77	17.65
8	4980—जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	6.11	5.06	1.05	17.18
9	0495—आश्रम और शालाएं	81.92	61.47	20.45	24.96
10	0978—क्रीड़ा परिसर	25.86	16.40	9.46	36.58
11	1398—छात्रावास / आश्रमों का संचालन	223.00	164.69	58.31	26.15
12	2676—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	240.98	150.91	90.07	37.38
13	9416—प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	681.74	624.70	57.04	8.37
14	9417—उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	30.09	22.78	7.31	24.29
15	9418—माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	18.37	16.09	2.28	12.41
16	5216—हाई स्कूल	121.77	95.61	26.16	21.48
17	6502—पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	22.32	8.52	13.80	61.83
18	7562—उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	11.05	6.48	4.57	41.36
19	8832—आश्रमों / छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण	164.21	84.48	79.73	48.55
20	0494—आश्रम	135.09	102.99	32.10	23.76
21	0671—एच्छक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	10.85	8.20	2.65	24.42
22	5228—कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2.10	0.43	1.67	79.52
23	7223—विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	4.60	3.13	1.47	31.96
24	9817—व्यवसायिक शिक्षा	6.62	5.48	1.14	17.22
25	7851—युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	8.00	3.91	4.09	51.13
26	8804—राहत योजना	1.18	0	1.18	100.00
27	8799—छात्रावास भवन निर्माण	50.00	46.83	3.17	6.34

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
28	2949—गणवेश का प्रदाय	11.26	7.62	3.64	32.33
29	4722—अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	66.51	45.38	21.13	31.77
आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग					
श्रेणी—2					
1	0538—इलैक्ट्रानिक में शिक्षित युवकों को स्व—रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अद्योसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	10.00	1.75	8.25	82.50
2	0671—एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	14.67	8.70	5.97	40.70
3	1398—छात्रावास/आश्रमों का संचालन	68.41	56.14	12.27	17.94
4	5133—अन्य छात्रवृत्तियां	212.10	191.00	21.10	9.95
5	5191—अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता	28.90	26.88	2.02	6.99
6	5903—पोस्ट मैट्रिक शिक्षा	10.00	7.68	2.32	23.20
7	7851—युवाओं के लिए रोजगारानुसुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	20.00	5.00	15.00	75.00
8	8801—सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	8.00	6.40	1.60	20.00
9	8829—अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र—छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय	34.00	29.56	4.44	13.06

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.7

2015–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग
 (₹ दस लाख या उससे अधिक)
 (संदर्भ: कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 15)

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष एवं नामकरण	बजट में कुल प्रावधान	स्थिति				अप्रयुक्त राशि का प्रतिशत
		समर्पण(-)/ पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचतें(-) आधिक्य(+)	
1	2	3	4	5	6	(6/4)*100
राजस्व लेखा						
2014-105-6269 न्याय व्यवस्था में सुधार	2017.01	197.10	2214.11	1148.20	-1065.91	48.14
2055-109-6463 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	305.85	-73.48	232.37	232.36	-0.01	0
2070-800-7720 केन्द्रीय वित्त आयोग	400000.00	0.00	400000.00	0.00	-400000.00	100
2406-01-101-6898 वानिकी अनुरक्षण एवं विकास	0.01	129.51	129.52	99.67	-29.85	23.05
पूँजीगत लेखा						
4235-02-102-5360 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	8316.23	-3756.89	4559.34	4613.64	54.30	0
5452-01-190-6559 प्रदेश में बुद्धिस्त परिपथ का निर्माण	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6560 धार्मिक पर्यटन का विकास	1800.00	-0.03	1799.97	1799.97	0	0
5452-01-190-6561 जैन परिपथ का विकास	200.00	0.00	200.00	200.00	0	0
5452-01-190—6563 हैरिटेज पर्यटन का विकास	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6565 ईको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास	1300.00	0.00	1300.00	1300.00	0	0
5452-01-190-6566 विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	1250.00	0.00	1250.00	1250.00	0	0
5452-01-190-6567 पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6568 राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों में साइनेजेस	100.00	0.00	100.00	100.00	0	0
5452-01-190-6571 मेला एवं उत्सव	150.00	0.00	150.00	150.00	0	0
योग	415739.10	-3503.79	412235.31	11193.84	-401041.47	

(चोर: संबंधित वर्षों के विस्तृत विवियोग लेखे)

परिशिष्ट 1.8

**क: राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.6.1; पृष्ठ 27)**

स. क्र.	कार्य का नाम
1	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4	सड़कें और पुल
5	धरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7	अग्निशमन सेवाएं
8	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

ख: राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण

स. क्र.	कार्य का नाम
1	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुकुट-पालन
5	मत्स्यपक्षी
6	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7	लघु वन उत्पाद
8	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल
12	ईंधन एवं चारा
13	सड़क, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है
15	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी हैं

स. क्र.	कार्य का नाम
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22	बाजार एवं मेले
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं
24	परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास
26	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27	कमज़ोर वर्गों का कल्याण, और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक आर्सितयों का अनुरक्षण

परिशिष्ट 1.9

31 मार्च 2016 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों / सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था
(संदर्भ: कंडिका 1.8.1; पृष्ठ 32)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	कम्पनी / निगम के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूँजी)	वर्ष के अन्त में 31 मार्च को संचित हानि (-)	क्षेत्र		
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग	
1	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	81.09	0.00	0.00	81.09	583.37 वित्त
2	पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	12.12	12.12	7.36 निर्माण
3	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	21.91	0.00	0.00	21.91	3.49 निर्माण
4	क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.08 निर्माण
5	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2014-15	2.20	0.00	0.00	2.20	17.84 निर्माण
6	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	0.66 निर्माण
7	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	0.33 निर्माण
8	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	6.03 निर्माण
9	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मरकी बारका) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1.00	1.00	1.28 निर्माण
10	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	10.00	10.00	6.07 निर्माण
11	मध्य प्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	61.22	61.22	90.02 निर्माण
12	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल क्षेत्र लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	10.00	10.00	9.66 निर्माण
13	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	33.30	33.30	0.73 निर्माण

सं. क्र.	कम्पनी/ निगम के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूँजी)				वर्ष के अन्त में 31 मार्च को संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
14	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2553.14	0.00	0.00	2553.14	236.17	ऊर्जा
15	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1816.90	1816.90	9986.02	ऊर्जा
16	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	2065.38	2065.38	8794.40	ऊर्जा
17	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	1918.23	1918.23	11401.07	ऊर्जा
18	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2014-15	5140.55	0.00	185.00	5325.55	3047.01	ऊर्जा
19	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	2.81	ऊर्जा
20	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2014-15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.01	सेवा
21	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	24.97	0.00	0.00	24.97	2.05	सेवा
22	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	0.00	141.81	1024.52	सेवा
23	मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	6.86	0.00	0.00	6.86	112.13	निर्माण
24	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	0.00	0.00	0.08	0.68	सेवा
25	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल	2013-14	0.25	0.00	0.00	0.25	0.02	सेवा
26	मध्य प्रदेश वित्तीय निगम इन्डौर	2014-15	348.70	0.00	22.44	371.14	208.97	सेवा
योग			8289.71	31.85	6138.74	14460.30	35542.78	

(स्रोत: कम्पनियों से प्राप्त अंतिम लेखे)

परिशिष्ट 1.10
**जून 2016 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी
साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति**
(संदर्भ: कंडिका 1.8.2; पृष्ठ 33)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		योजना / पाइप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने / निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	4	552.70	0	0.00	0	0.00	1	170.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	1	125.00	1	249.92	0	0.00	0	0.00
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1185.13	5	1185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	126	14476.62	1	286.25	7	32.47	30	5429.74	88	8728.16
12	पचायत एवं ग्रामीण विकास	2	99.93	2	99.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
14	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
15	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
16	परिवहन	1	1094.00	0	0.00	0	0.00	1	1094.00	0	0.00
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास	30	2061.19	19	1607.68	2	24.90	4	145.83	5	282.78
योग		198	23069.98	39	4772.70	16	567.31	43	8266.33	100	9463.64

(स्रोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोगल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी)

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	8773.17	3912.80	44.60
2	01	सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	70.41	28.03	39.81
3	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	67.15	35.25	52.49
4	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	17.28	15.53	89.87
5	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	13574.49	5614.68	41.36
6	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	181.05	137.26	75.81
7	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2589.03	773.35	29.87
8	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1247.43	335.61	26.90
9	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	60.82	25.13	41.32
10	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	60.00	13.74	22.90
11	10	वन (राजस्व दत्तमत)	2408.95	643.98	26.73
12	12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	3934.47	1401.98	35.63
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	3528.75	2235.89	63.36
14	14	पशुपालन (राजस्व दत्तमत)	720.58	146.90	20.39
15	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	2389.93	783.40	32.78
16	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	60.00	58.96	98.27
17	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	70.28	19.11	27.19
18	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1362.35	453.46	33.29
19	17	सहकारिता (पूँजीगत दत्तमत)	622.30	454.55	73.04
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूँजीगत दत्तमत)	271.24	132.92	49.00
21	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1517.85	342.76	22.58
22	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	2897.45	663.81	22.91
23	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (पूँजीगत प्रभारित)	94.50	37.25	39.42
24	25	खनिज साधन (राजस्व दत्तमत)	39.08	11.65	29.81
25	26	संस्कृति (राजस्व दत्तमत)	139.03	29.38	21.13
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (राजस्व दत्तमत)	7052.44	1456.89	20.66
27	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	370.71	129.46	34.92
28	30	ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत)	558.15	129.91	23.28

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
29	30	ग्रामीण विकास (पूंजीगत दत्तमत)	1508.55	341.99	22.67
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	149.29	81.14	54.35
31	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	227.96	67.30	29.52
32	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	121.80	57.01	46.81
33	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	409.69	117.29	28.63
34	38	आयुष (पूंजीगत दत्तमत)	31.50	19.98	63.43
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्व दत्तमत)	1602.80	360.16	22.47
36	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (पूंजीगत दत्तमत)	138.02	118.25	85.68
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	6175.79	2178.78	35.28
38	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	3390.03	1098.20	32.39
39	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल (पूंजीगत दत्तमत)	855.13	201.73	23.59
40	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	105.52	31.23	29.60
41	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	1886.01	492.23	26.10
42	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (राजस्व दत्तमत)	556.56	145.78	26.19
43	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	129.84	30.07	23.16
44	48	नर्मदा घाटी विकास (पूंजीगत दत्तमत)	1640.48	602.17	36.71
45	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	571.46	117.38	20.54
46	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	3426.94	1240.32	36.19
47	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	50.00	49.60	99.20
48	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	305.07	118.69	38.91
49	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	68.97	68.97	100.00
50	55	महिला एवं बाल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	77.41	37.36	48.26
51	56	ग्रामोद्योग (राजस्व दत्तमत)	222.50	72.32	32.50
52	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	10.00	10.00	100.00
53	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	239.20	53.75	22.47

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
54	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	57.34	15.86	27.66
55	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	283.71	62.41	22.00
56	62	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	175.72	40.24	22.90
57	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	62.97	45.09	71.61
58	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	4233.52	1440.87	34.03
59	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	3038.46	837.73	27.57
60	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1149.45	371.58	32.33
61	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (राजस्व दत्तमत)	644.00	203.33	31.57
62	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (पूँजीगत दत्तमत)	240.91	68.62	28.48
63	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	48.90	22.05	45.09
64	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	1080.00	350.33	32.44
65	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	568.00	165.21	29.09
66	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (राजस्व दत्तमत)	95.94	21.30	22.20
67	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	15052.23	3707.89	24.63
68	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	25.45	25.00	98.23
69	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	51.05	48.12	94.26
70	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	2373.64	795.85	33.53
71	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	71.72	47.29	65.94
योग			107832.42	36004.11	33.39

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.2 (क)

**तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों / विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) हुईं
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 49)**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
(राजस्व दत्तमत)				
06—वित्त				
1	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	केन्द्रीय वित्त आयोग	4000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
2	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	अन्य व्यय	1062.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
3	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ-101	एकीकृत मध्यप्रदेश	670.59	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
4	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ-104	एकीकृत मध्यप्रदेश	556.82	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
5	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ-105	एकीकृत मध्यप्रदेश	146.92	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
6	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ	मध्यप्रदेश	108.47	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
7	2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ-115	एकीकृत मध्यप्रदेश	271.44	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
07—वाणिज्यिक कर				
8	2030—स्टाम्प और पंजीकरण	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	150.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
9	2030—स्टाम्प और पंजीकरण	मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का मध्य प्रदेश पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	425.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
10	2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर	जिला स्थापना	56.55	बचत नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से विभिन्न श्रेणी के नये पदों के रिक्त रहने से, विभागीय पुनर्गठन होने से तथा राजपत्रित पद तथा 1238 लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त रहने के कारण हुई।
08—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
11	2029—भू-राजस्व	जिला खर्च	87.09	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
12	2053—जिला प्रशासन	जिला स्थापना	80.07	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
13	2053—जिला प्रशासन	उपसंभागीय स्थापना	59.66	₹ 70.00 लाख की अंशतः बचत तहसील कार्यालय द्वारा उपकरण खरीदने के लिए समय से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए।
10—वन				
14	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	वन विकास उपकर निधि से व्यय	59.57	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
15	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन—पुनर्स्थापना समूह	79.97	बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कमी किये जाने के कारण हुई।
16	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	टिम्बर	49.47	बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
17	2401—फसल कृषि—कर्म	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	62.80	बचत अंशतः वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण हुई (58.76 करोड़)। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
18	2401—फसल कृषि—कर्म	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	177.44	बचत भारत सरकार द्वारा रिलीज प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा निधियों के आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई।
19	2401—फसल कृषि—कर्म	नेशनल ऑयल सीड एण्ड ऑयल पॉम मिशन	50.26	बचत भारत सरकार द्वारा रिलीज प्राप्त न होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध एवं योजना के बजट कियान्वयन के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुई।
20	2401—फसल कृषि—कर्म	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1622.78	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
21	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	81.40	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
22	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	अन्य छात्रवृत्तियां	61.61	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
23	2216—आवास	मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	57.59	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई
24	2505—ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	239.18	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
25	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	137.02	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
17—सहकारिता				
26	2425—सहकारिता	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	204.70	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27	2425—सहकारिता	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	58.41	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
28	2425—सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	160.64	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
29	2202—सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालायें	252.03	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30	2202—सामान्य शिक्षा	सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना	566.45	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
31	2202—सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	297.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
32	2202—सामान्य शिक्षा	प्राथमिक पाठशाला	70.37	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
33	2202—सामान्य शिक्षा	सरकारी माध्यमिक शालाओं के लिए सहायतानुदान	58.71	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
34	2202—सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालायें	99.97	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30—ग्रामीण विकास				
35	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	ग्रामीण यात्रिकी सेवा	54.06	बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
38—आयुष				
36	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	61.04	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
37	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	50.37	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
38	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना	122.32	बचत मितव्ययी उपायों के अपनाये जाने एवं संभावित बचत का आंकलन किये जाने से हुई (29.98 करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
39	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	58.85	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
40	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	कार्ययोजना के समूह कार्यान्वयन का पुनर्स्थापन	64.60	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41	2202—सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	509.17	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
42	2202—सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	104.10	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
43	2202—सामान्य शिक्षा	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	60.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
44	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
45	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	तांत्र्या भील स्वरोजगार योजना	70.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
46	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	50.57	बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कमी किये जाने के कारण हुई।
47	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	आश्रमों/छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण	66.79	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
48	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	एकीकृत आदिम विकास परियोजना के अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम	170.31	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
44—उच्च शिक्षा				
49	2202—सामान्य शिक्षा	महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	148.32	बचत अपेक्षित मांग प्राप्त न होने, छठवें वेतन आयोग एवं यू.जी.सी. के पे-बैंड के आदेश जारी न होने एवं योजनान्तर्गत प्रक्रिया अपूर्ण रहने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित व्यय नहीं किये जाने से हुई।
50	2202—सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियोजन योजना का क्रियान्वयन	184.14	बचत अपेक्षित मांग प्राप्त न होने, छठवें वेतन आयोग एवं यू.जी.सी. के पे-बैंड के आदेश जारी न होने एवं योजनान्तर्गत प्रक्रिया अपूर्ण रहने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित व्यय नहीं किये जाने से हुई।
47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
51	2203—तकनीकी शिक्षा	स्किल डेवलपमेंट मिशन माइयूलर इम्प्लायबल	59.26	बचत आवंटित राशि का उपयोग नहीं होने की संभावना से हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
52	2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्रांड फण्ड योजना	209.60	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
53	2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
54	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	52.93	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
55	2202—सामान्य शिक्षा—197	प्राथमिक शालायें	62.24	बचत पदों की पूर्ति न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा कम किये जाने के कारण हुई।
56	2202—सामान्य शिक्षा—198	प्राथमिक शालायें	78.45	बचत पदों की पूर्ति न होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा कम किये जाने के कारण हुई।
57	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	58.03	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
58	2505—ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	260.01	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई।
59	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	85.13	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई।
53—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
60	2217—शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	55.54	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
64—अनुसूचित जाति उपयोजना				
61	2401—फसल कृषि—कर्म	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	62.23	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
62	2202—सामान्य शिक्षा	आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	53.32	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
63	2202—सामान्य शिक्षा	सर्वशिक्षा अभियान	343.68	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
64	2202—सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	64.12	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
65	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	56.49	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
66	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	66.43	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
66—पिछड़ा वर्ग कल्याण				
67	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—0801	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	67.89	बचत भारत सरकार से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।
68	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—0101	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	299.85	बचत जिलों द्वारा दी गई व्यय की स्वीकृति के कारण हुई।
67—लोक निर्माण कार्य—भवन				
69	2059—लोक निर्माण कार्य	निष्पादन	73.15	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
70	2216—आवास	एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	50.42	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय				
71	2217—शहरी विकास	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	349.96	बचत अंशतः कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध होने एवं सिंहस्थ मेला के देयकों के लिये न होने के कारण हुई (16.62 करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
72	2216—आवास	इन्दिरा आवास योजना	301.28	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
73	2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	इंटीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोग्राम	55.39	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
74	2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	51.97	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
75	2505—ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2133.40	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
76	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	260.02	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
77	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	82.38	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
78	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्याह्न भोजन के लिए दुग्ध का वितरण	98.81	बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने एवं योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
79	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	356.20	बचत अंशतः (₹ 224.40 करोड़) योजनान्तर्गत प्रावधानुसार केन्द्र से बजट आवंटन की संरचीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
80	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—197	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	289.29	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
81	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	213.96	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
77—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
82	2202—सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालायें	186.50	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
83	2202—सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	322.56	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
84	2202—सामान्य शिक्षा	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
85	2202—सामान्य शिक्षा	हाई स्कूलों का हायर सेकंडरी स्कूलों में उन्नयन	66.57	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
(पूंजीगत दत्तमत)				
06—वित्त				
86	6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
12—ऊर्जा				
87	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगार्जी ताप विद्युत परियोजना	300.00	बचत मुख्यतः (₹ 240.00 करोड़) वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
88	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	150.00	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
89	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016–17 तक	229.66	बचत अंशतः सरदार सरोवर परियोजना (₹ 118.31 करोड़) के अंतर्गत कम विद्युत क्रय किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
90	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	207.27	बचत कुछ टर्न की कांट्रैक्टरों के कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।
91	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	91.85	बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता एवं निर्माणाधीन कार्यों में कुछ टर्न-की कांट्रैक्टरों (₹ 78.84 करोड़) द्वारा कार्य में विलंब किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
92	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	142.71	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
93	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	140.00	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के कारण हुई।
94	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	75.77	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता एवं बिलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण में विलम्ब के कारण हुई।
17—सहकारिता				
95	6425—सहकारिता के लिये कर्ज	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	445.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण				
96	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	मंत्रालय का विस्तार	53.43	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
97	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—201—0701	सर्वशिक्षा अभियान	106.25	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
98	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—800—0701	सर्वशिक्षा अभियान	106.25	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
30—ग्रामीण विकास				
99	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	150.27	बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने एवं परियोजना प्रभारी (₹ 78.19 करोड़) द्वारा कम राशि प्राप्त किये जाने से हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
100	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	50.62	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से हुई।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
101	6408—खाद्य, भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज	धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण	100.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
102	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	71.87	बचत वित्त विभाग द्वारा बजट में कटौती किये जाने के कारण हुई।
103	6425—सहकारिता के लिए कर्ज	अत्यकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	75.42	बचत योजनांतर्गत राशि की मांग न होने के कारण हुई।
104	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	जन भागीदारी योजना	51.69	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
105	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विधि विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	64.26	बचत मुख्यतः (₹ 46.98 करोड़) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निधियों का आहरण नहीं किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा कम किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (सितम्बर 2016)।
106	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	एकीकृत आदिम विकास परियोजनांतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम	68.97	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
107	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	149.75	बचत निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
108	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	107.48	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल				
109	5054—सङ्कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	केन्द्रीय सङ्कक निधि	66.59	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
110	5054—सङ्कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्य जिला सङ्कों का उन्नयन	55.65	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
48—नर्मदा घाटी विकास				
111	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	63.75	बचत मुख्यतः (₹ 50.22 करोड़) भू-अर्जन से संबंधित कार्य पूर्ण न होने एवं टनल कार्य मशीन में तकनीकी दिक्कत आने से हुई। अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
112	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्वहन योजना	350.00	बचत वन विभाग से स्वीकृति में देरी होने, भू-अर्जन कार्य प्रक्रियाधीन होने एवं वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
64—अनुसूचित जाति उपयोजना				
113	6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	68.71	बचत वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता बरते जाने से हुई।
114	5054—सङ्कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद पुलों का निर्माण	54.33	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
115	5054—सङ्कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्य जिला सङ्कों का उन्नयन	99.01	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
116	5054—सङ्कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सङ्कों सहित)	61.17	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
117	4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	80.57	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय

118	4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—03—800—0101	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	113.21	बचत संबंधित विभागों (₹ 25.15 करोड़) से राशि के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।
119	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—05—800—0101	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	52.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

(पूँजीगत प्रभारित)**लोक ऋण**

120	6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बँक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्जे	116.92	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
121	6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
122	6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।
123	6004—फेन्ड्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	ब्लॉक कर्जे	127.24	सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2016)।

(चोर: वर्ष 2015–16 के विवियोग लेख)

परिशिष्ट 2.2 (ख)

अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आधिक्य व्यय जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र (संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान / विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान / विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	पी.डी.-लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	770.60	961.99	191.39	24.84
2	पी.डी.-लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैक-टू-बैक ऋण	175.00	314.33	139.33	79.62
3	06-वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	448.11	1035.14	587.03	131.00
4	06-वित्त	2071-01-102-9998-मध्य प्रदेश	7.02	30.97	23.95	341.17
5	06-वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	196.56	557.73	361.17	183.75
6	06-वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	115.60	309.95	194.35	168.12
7	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	87.75	284.92	197.17	224.70
8	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-1227-परंपरागत खेती विकास योजना	24.41	46.46	22.05	90.33
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	980.00	1242.51	262.51	26.79
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-राज्य आयोजना सामान्य-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	16.75	27.86	11.11	66.33
11	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	78.00	105.45	27.45	35.19
12	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7706-स्वच्छ भारत अभियान	0.50	14.80	14.30	28.60
13	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	177.99	314.22	136.23	76.54
14	23-जल संसाधन	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना सामान्य-3300-मण्डल स्थापना	40.25	60.11	19.86	49.34
15	24-लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना सामान्य- 6651-रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	50.00	89.95	39.95	79.90
16	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण / जीर्णोद्धार	50.00	156.25	106.25	212.50
17	29-विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	0.001	11.48	11.48	1148000.00

संक्र.	अनुदान / विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान / विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
18	40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	4705-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—6648—वृहत एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी	2.00	16.91	14.91	745.50
19	40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	4705-223-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	7.50	17.50	10.00	133.33
20	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10—वन विभाग 2406-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन—संरक्षण समूह	4.94	17.23	12.29	248.79
21	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 4515-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—8284-म.प्र. विधान सभा निर्वाचन (क्षेत्र) विकास योजना	39.36	50.99	11.63	29.55
22	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25—आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—1385-छात्र गृह योजना	20.79	40.06	19.27	92.69
23	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31—जल संसाधन विभाग 4701-95-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	सांकेतिक	10.00	10.00	-
24	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31—जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—3828-लघु सिंचाई योजना	35.00	102.60	67.60	193.14
25	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31—जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	20.00	36.71	16.71	83.55
26	42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	5054-04-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि—2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	0.0001	13.27	13.27	13270000.00
27	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1501-अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	50.00	83.34	33.34	66.68
28	55—महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-6741-मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)-	0.0008	52.40	52.40	6550000.00
29	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	145.00	394.45	249.45	172.03

सं. क्र.	अनुदान / विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान / विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
30	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अन्यथा मार्जिन-धन निधि अकाल राहत निधि	877.00	1545.00	668.00	76.17
31	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल को क्षति	70.00	436.19	366.19	523.13
32	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	27—नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	53.15	119.55	66.40	124.93
33	73—चिकित्सा शिक्षा	4210-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6335—चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	0.0002	11.65	11.65	5825000.00
34	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7571-मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना	2.65	12.65	10.00	377.36
35	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	0.0001	20.32	20.32	20320000.00
36	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	0.0001	204.08	204.08	204080000.00
37	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-8214-सचिवालयीन व्यवस्था	50.00	87.74	37.74	75.48
38	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1319-मुख्यमंत्री शहरी अधीक्षण एवं पेयजल योजनाओं हेतु हुड़को से लिये गये ऋण/ब्याज का पुनर्भुगतान	115.00	144.06	29.06	25.25
39	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1237-हाउसिंग फार ऑल	25.00	231.47	206.47	825.88
योग			4735.93	9212.29	4476.36	94.52

(चोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.2 (ग)
योजनाओं के प्रकरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0779–कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
2	पी.डी.	लोक ऋण	6003–110–0637–उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
3	03	पुलिस	2055–109–1501–आतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–7448–महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	निरंक	25.00	100
4	03	पुलिस	2055–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7350–ऑटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	16.10	निरंक	16.10	100
5	03	पुलिस	4055–208–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7185–राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	22.63	निरंक	22.63	100
6	06	वित्त	2070–800–1301–केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)–7720–केन्द्रीय वित्त आयोग	4000.00	निरंक	4000.00	100
7	06	वित्त	2071–01–200–5653–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	39.78	निरंक	39.78	100
8	06	वित्त	2070–800–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–0224–अन्य व्यय	1062.00	निरंक	1062.00	100
9	06	वित्त	2701–01–101–9999–एकीकृत मध्य प्रदेश	14.00	निरंक	14.00	100
10	06	वित्त	6075–800–6787–गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100
11	06	वित्त	6075–800–6788–राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
12	07	वाणिज्यिक कर	2030–02–797–6001–म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	150.00	निरंक	150.00	100
13	08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029–103–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5070–कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	12.37	निरंक	12.37	100
14	10	वन	2406–01–001–0812–कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	26.63	निरंक	26.63	100
15	10	वन	2406–01–102–1306–वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	31.81	निरंक	31.81	100
16	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–7140–एम.पी.एस.आई.डी.सी. के कर्जदारों को भुगतान हेतु ऋण	22.16	निरंक	22.16	100
17	12	ऊर्जा	2801–80–101–9023–कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान	143.50	निरंक	143.50	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
18	12	ऊर्जा	6801-190-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.वी.-3)	207.27	निरंक	207.27	100
19	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	40.00	निरंक	40.00	100
20	12	ऊर्जा	6801-204-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6869- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	30.71	निरंक	30.71	100
21	12	ऊर्जा	6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)-7255-33 / 11 के व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	140.00	निरंक	140.00	100
22	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7499- सब मिशन स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट	15.00	निरंक	15.00	100
23	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-105-0101-7716-राज्य आयोजना सामान्य-7716- सोलर पंप पर टॉप-अप अनुदान	11.05	निरंक	11.05	100
24	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	31.25	निरंक	31.25	100
25	14	पशुपालन	2403-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7645- राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम	18.00	निरंक	18.00	100
26	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22-पंचायत 2501-06-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-9249-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	81.40	निरंक	81.40	100
27	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22-पंचायत 2515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7375-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	27.27	निरंक	27.27	100
28	17	सहकारिता	2425-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7827- अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	204.70	निरंक	204.70	100
29	17	सहकारिता	2425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	58.41	निरंक	58.41	100
30	17	सहकारिता	6425-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7827- अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	445.00	निरंक	445.00	100
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7386- नर्मदा-क्षिपा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	10.00	निरंक	10.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7336—एम. पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	10.00	निरंक	10.00	100
33	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-02-800-0900- निगम प्रवर्तित योजना-5244-शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउंटर मेगेन्ट योजना के अन्तर्गत सहायता	10.51	निरंक	10.51	100
34	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7336—एम. पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	29.03	निरंक	29.03	100
35	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5776-सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	निरंक	20.00	100
36	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-6269—न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	20.17	निरंक	20.17	100
37	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1286-सांख्यिकी अनुदान	25.00	निरंक	25.00	100
38	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	6408-01-190-7585-धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु ब्याज रहित ऋण	100.00	निरंक	100.00	100
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5776-सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	19.45	निरंक	19.45	100
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	60.00	निरंक	60.00	100
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-112-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-1286-सांख्यिकी अनुदान	18.30	निरंक	18.30	100
42	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-101-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	निरंक	52.50	100
43	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38-उच्च शिक्षा विभाग 2202-03-796-103-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-7464— मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	45.00	निरंक	45.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
44	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50—महिला एवं बाल विकास विभाग 2235—02—796—103—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—9223—तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	13.00	निरंक	13.00	100
45	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	58—ग्रामीण विकास विभाग—2515—796—800—1202— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—5853— डी.पी.आई.पी. योजनायें	11.20	निरंक	11.20	100
46	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801—796—190—1202— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—1284—पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.वी.—3)	41.00	निरंक	41.00	100
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801—796—205—1202— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—7255—33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	24.10	निरंक	24.10	100
48	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25—आदिम जाति कल्याण विभाग 4225—02—796—277—0102—(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—0762—कन्या शिक्षा परिसर	40.00	निरंक	40.00	100
49	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	34—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215—01—796—800—1402—नाबार्ड (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—7301—पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	107.48	निरंक	107.48	100
50	44	उच्च शिक्षा	2202—03—103—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)—7463—शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	35.00	निरंक	35.00	100
51	48	नर्मदा घाटी विकास	4700—80—800—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)—7605— दरबारी उद्वहन सिंचाई योजना	10.00	निरंक	10.00	100
52	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22—पंचायत विभाग 2501—06—796—198—0102— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—9249— बेकवर्ड रिजन ग्रान्ड फण्ड योजना	209.60	निरंक	209.60	100
53	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22—पंचायत विभाग 2501—06—796—198—0702— केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—5376— नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना	100.00	निरंक	100.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
54	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22—पंचायत विभाग 2515—796—198—0702— केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—7375—राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	52.93	निरंक	52.93	100
55	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58—ग्रामीण विकास विभाग 2501—02—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—7466—नीरांचल परियोजना	12.00	निरंक	12.00	100
56	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18—नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217—05—789—191—0703— केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.—1263—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	18.62	निरंक	18.62	100
57	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18—नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217—05—789—191—0103— अनुसूचित जाति उपयोजना—6154— राजीव आवास योजना	13.00	निरंक	13.00	100
58	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18—नगरीय विकास एवं पर्यावरण 2217—05—789—191—0103— अनुसूचित जाति उपयोजना—6981— जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन	55.54	निरंक	55.54	100
59	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18—नगरीय विकास एवं पर्यावरण 6217—60—789—800—1203— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—7336— मध्य प्रदेश शहरी सेवाओं का सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	68.97	निरंक	68.97	100
60	55	महिला एवं बाल विकास	2235—02—103—1201— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—9223—तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	42.25	निरंक	42.25	100
61	55	महिला एवं बाल विकास	4235—02—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—7449—सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52	100
62	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245—01—101—8874—सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	35.00	निरंक	35.00	100
63	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2515—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—5853— डी.पी.आई.पी. योजनाएं	10.00	निरंक	10.00	100
64	63	अल्प संख्यक कल्याण	2225—03—800—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सामान्य)—5617—अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	19.00	निरंक	19.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
65	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454—02—789—112—0703— केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—1286—सांख्यिकी अनुदान	11.65	निरंक	11.65	100
66	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38—उच्च शिक्षा विभाग 2202—03—789—103—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—7464—मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	45.00	निरंक	45.00	100
67	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग—2225—01—789—277—0803 — केन्द्र क्षेत्रीय योजना (एस.सी.एस.पी.)—7765—पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	निरंक	30.00	100
68	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801—789—190—1203— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(एस.सी.एस.पी.)—1284—पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.—3)	25.00	निरंक	25.00	100
69	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801—789—190—1203— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(एस.सी.एस.पी.)—6929—पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	32.00	निरंक	32.00	100
70	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31—जल संसाधन विभाग 4702—789—800—1503— अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.) (सामान्य)—6708—ए.आई.बी.पी. योजनायें	24.88	निरंक	24.88	100
71	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7296—चिकित्सा महाविद्यालयों भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	20.00	निरंक	20.00	100
72	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217—05—796—191—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—6981—जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन	16.00	निरंक	16.00	100
73	73	चिकित्सा शिक्षा	2210—05—105—4968—चिकित्सा महाविद्यालय	31.00	निरंक	31.00	100
74	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501—01—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—7466—नीरांचल परियोजना	37.50	निरंक	37.50	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
75	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501–06–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5484–समन्वित आजीविका कार्यक्रम अन्तर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण	24.00	निरंक	24.00	100
76	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515–198–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–7375–राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	82.38	निरंक	82.38	100
77	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515–198–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–9249–बेकर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	356.20	निरंक	356.20	100
78	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217–05–800–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–6154–राजीव आवास योजना	186.00	निरंक	186.00	100
79	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217–60–191–5728–पेयजल पूर्ति के लिए नगरीय निकायों को कर्जे	25.00	निरंक	25.00	100
80	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810–02–102–0410–ऊर्जा विकास निधि–3220–मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	25.00	निरंक	25.00	100
81	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202–02–109–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)–6007–मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	100.00	निरंक	100.00	100
योग				13374.82		13374.82	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	2	3	4
2003-04	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूंजीगत (दत्तमत): 35, 94	2.54
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2004-05	13 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 24, 59, 67, 92, 94 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 19, 30, 59, 66, 78, 84, 86	83.66
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	
2005-06	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 6, 39	37.58
	02 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 21, 45	
2006-07	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 24, 67	35.99
	01 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 24	
2008-09	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत (दत्तमत): 43	5.80
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 24	12.62
	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
		राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 02 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.32
	01 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 02, 06 पूंजीगत (दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	
योग	38 अनुदान एवं 20 विनियोग		918.09

परिशिष्ट 2.4

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	60.64	56.52	4.12	1.22
2	03—पुलिस	4963.37	4341.70	621.67	133.72
3	04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	40.15	31.90	8.25	27.00
4	05—जेल	270.64	258.40	12.24	16.78
5	06—वित्त	13569.63	7959.81	5609.82	4.86
6	07—वाणिज्यिक कर	2573.73	1815.69	758.04	15.30
7	10—वन	2241.44	1764.97	476.47	167.51
8	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1881.23	1292.86	588.37	1647.52
9	14—पशुपालन	677.04	573.67	103.37	43.53
10	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2323.25	1606.53	716.72	66.68
11	16—मछली पालन	63.64	51.17	12.47	6.63
12	18—श्रम	182.24	149.15	33.09	2.31
13	21—लोक सेवा प्रबंधन	102.50	89.21	13.29	3.00
14	23—जल संसाधन	833.67	690.71	142.96	4.20
15	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1192.75	1175.08	17.67	325.10
16	26—संस्कृति	121.20	109.65	11.55	17.83
17	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6977.23	5595.55	1381.68	75.21
18	28—राज्य विधान मंडल	72.44	64.78	7.66	4.60
19	29—विधि और विधायी कार्य	728.32	632.12	96.20	48.49
20	30—ग्रामीण विकास	553.00	428.24	124.76	5.15
21	31—योजना, आर्थिक और सांखियकी	134.84	68.15	66.69	14.45
22	34—सामाजिक न्याय	168.52	160.67	7.85	59.45
23	36—परिवहन	114.23	64.80	49.43	7.57
24	38—आयुष	369.26	292.40	76.86	40.43
25	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5908.07	3997.01	1911.06	267.72
26	43—खेल और युवक कल्याण	92.10	74.30	17.80	13.42
27	44—उच्च शिक्षा	1725.01	1393.78	331.23	161.00
28	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	130.56	124.44	6.12	5.00
29	46—विज्ञान और टेक्नालॉजी	207.84	203.31	4.53	5.50
30	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	534.29	410.78	123.51	22.27
31	48—नर्मदा घाटी विकास	14.84	14.46	0.38	7.41

संक्र.	अनुदान / विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
32	51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व	117.23	113.49	3.74	15.50
33	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3332.95	2186.62	1146.33	93.99
34	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	280.07	186.38	93.69	25.00
35	55—महिला एवं बाल विकास	2847.80	2585.75	262.05	76.65
36	56—ग्रामोद्योग	218.22	150.18	68.04	4.28
37	61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	49.34	41.48	7.86	8.00
38	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	3847.68	2792.65	1055.03	385.84
39	66—पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	880.45	777.87	102.58	269.00
40	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	641.10	440.67	200.43	2.90
41	72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	94.50	74.64	19.86	1.44
42	73—चिकित्सा शिक्षा	532.46	505.81	26.65	43.37
43	77—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2364.14	1577.78	786.36	9.50
योग (क)		64033.61	46925.13	17108.48	4156.33
ख—पूंजीगत (दत्तमत)					
44	11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	586.53	498.87	87.66	4.60
45	12—ऊर्जा	3732.56	2532.49	1200.07	201.91
46	17—सहकारिता	232.30	167.75	64.55	390.00
47	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	114.20	19.77	94.43	23.82
48	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2699.30	2291.83	407.47	690.74
49	60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	213.03	185.45	27.58	26.17
50	61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	263.71	221.30	42.41	20.00
51	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	2488.64	2200.73	287.91	549.82
52	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	232.91	172.29	60.62	8.00
53	73—चिकित्सा शिक्षा	39.66	39.65	0.01	4.03
योग (ख)		10602.84	8330.13	2272.71	1919.09
ग—राजस्व (प्रभारित)					
54	29—विधि और विधायी कार्य	83.53	79.51	4.02	14.41
योग (ग)		83.53	79.51	4.02	14.41
योग (क+ख+ग)		74719.98	55334.77	19385.21	6089.83

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)

₹ करोड़ में					
सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क—राजस्व(दत्तमत)					
1	01—सामान्य प्रशासन	337.28	60.13	342.72	54.69
2	11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	1191.23	162.12	1299.37	53.98
3	12—ऊर्जा	5471.43	2447.75	7073.04	846.14
4	17—सहकारिता	498.94	863.41	908.89	453.46
5	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	679.68	829.74	1379.23	130.19
6	37—पर्यटन	75.34	12.30	87.12	0.52
7	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1133.83	468.97	1242.65	360.15
8	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	449.72	121.75	454.09	117.38
9	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1997.00	4128.00	5983.15	141.85
10	71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	138.00	942.00	729.67	350.33
11	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	11124.35	3927.88	11344.34	3707.89
12	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5559.75	1210.35	6500.47	269.63
	योग (क)	28656.55	15174.40	37344.74	6486.21
ख—पूंजीगत (दत्तमत)					
13	01—सामान्य प्रशासन	27.13	53.98	71.83	9.28
14	23—जल संसाधन	2500.42	685.00	3098.22	87.20
15	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	2228.23	669.22	2233.64	663.81
16	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	233.50	137.21	241.25	129.46
17	36—परिवहन	20.00	40.00	52.68	7.32
18	38—आयुष	5.00	26.50	11.52	19.98
19	44—उच्च शिक्षा	44.45	48.80	87.54	5.71
20	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	511.30	145.00	599.73	56.57
21	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	67.65	62.19	99.77	30.07
22	55—महिला एवं बाल विकास	25.02	52.39	40.06	37.35
23	57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	244.76	85.04	320.17	9.63
24	66—पिछ़ा वर्ग कल्याण	6.85	15.05	12.05	9.85
25	71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	137.00	431.00	402.79	165.21
	योग (ख)	6051.31	2451.38	7271.25	1231.44
ग—राजस्व (प्रभारित)					
26	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	8057.72	345.11	8090.88	311.95
27	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	253.06	10.00	257.69	5.37
	योग (ग)	8310.78	355.11	8348.57	317.32
	योग (क+ख+ग)	43018.64	17980.89	52964.56	8034.97

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = 52964.56 करोड़—43018.64 करोड़ = 9945.92 करोड़
(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.6
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 52)

₹ करोड में)						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	03	पुलिस	2055–104–4492–सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	(+)1.51	(-)7.95	100
2	07	वणिज्यिक कर	2030–01–001–8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(+)4.10	(-)7.02	100
3	07	वणिज्यिक कर	2030–03–001–1480–जिला प्रभार	(+)1.77	(-)14.17	100
4	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053–093–1509–जिला स्थापना	(+)1.17	(-)81.24	100
5	14	पशुपालन	2403–109–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5899–पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर	(+)5.65	(-)1.25	22.12
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215–01–102–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–4379–समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)30.00	(-)2.55	8.50
7	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–आयाकट	4705–204–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–2823–फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(+) 1.12	(-)17.48	100
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4700–01–796–800–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)–6258–डेम रिहोर्सिंग इंस्टीट्यूट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	(+)5.21	(-)2.42	46.45
9	44	उच्च शिक्षा	2202–03–104–7043–जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	(+)10.25	(-)5.12	49.95
10	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–02–101–0747–ओला पीड़ितों को राहत	(+)263.94	(-)14.48	5.49
11	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–80–800–7249–कीट प्रकोप से फसल को क्षति	(+)373.23	(-)7.03	1.88
12	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701–57–800–1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)10.00	(-)10.71	100
13	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31–जल संसाधन विभाग 4700–13–789–800–1503–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)–2884–नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)33.35	(-)3.56	10.67
14	73	चिकित्सा शिक्षा	2210–05–105–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–4968–चिकित्सा महाविद्यालय	(+)1.51	(-)13.58	100
15	03	पुलिस	2055–109–4491–सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(-)150.70	(+)10.40	6.90
16	10	वन	2406–01–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–2723–प्रशासन सुदृढ़ीकरण	(-)9.76	(+)1.16	11.89

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
17	10	वन	2406—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7882—कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन—संरक्षण समूह	(-)6.71	(+)1.24	18.48
18	10	वन	2406—01—203—0535—टिन्बर	(-)54.43	(+)4.96	9.11
19	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26—सामाजिक न्याय विभाग 2235—60—789—198—0103— अनुसूचित जाति उपयोजना—5863— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	(-)7.31	(+)11.18	100
20	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26—सामाजिक न्याय विभाग 2235—60—789—198—0103— अनुसूचित जाति उपयोजना—8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-)2.00	(+)2.40	100
21	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217—05—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7145—मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	(-)10.02	(+)18.00	100
22	23	जल संसाधन	2700—11—101—2894—बांध तथा नहरें	(-)8.42	(+)1.66	19.71
23	23	जल संसाधन	2700—80—800—6360—निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-)2.99	(+)1.00	33.44
24	23	जल संसाधन	2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—3300—मण्डल स्थापना	(-)20.29	(+)40.16	100
25	23	जल संसाधन	2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक	(-)6.04	(+)9.64	100
26	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054—04—337—0134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	(-)63.40	(+)135.05	100
27	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	5054—04—800—1401—नाबार्ड (सामान्य)—5226—ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	(-)209.66	(+)6.84	3.26
28	29	विधि और विधायी कार्य	2015—103—3307—मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	(-)31.51	(+)2.33	7.39
29	30	ग्रामीण विकास	2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—1033—विकासखण्ड कार्यालय	(-)29.81	(+)7.89	26.47
30	34	सामाजिक न्याय	2235—02—001—2304—निदेशन एवं प्रशासन	(-)3.92	(+)1.21	30.87
31	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	4705—218—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—2823—फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	(-)3.35	(+)1.00	29.85
32	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	4705—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—6648— वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी	(-)2.00	(+)16.91	100
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10—वन विभाग 2406—01—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—7882—कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन—संरक्षण समूह	(-)2.81	(+)15.10	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26—सामाजिक न्याय विभाग 2235—60—796—193—0102— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	(-)2.00	(+)4.46	100
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27—नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701—45—796—800—1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—5152—हालोन परियोजनाएँ	(-)33.43	(+)4.31	12.89
36	48	नर्मदा घाटी विकास	4700—80—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—6398—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना	(-)2.62	(+)5.17	100
37	55	महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—0658—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	(-)172.61	(+)1.34	0.78
38	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701—61—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)9.00	(+)10.67	100
39	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19—लोक निर्माण विभाग 5054—03—789—101—0103— अनुसूचित जाति उपयोजना—6651—रेल्वे ओहर ब्रिज का निर्माण	(-)2.55	(+)9.47	100
40	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	27—नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700—43—789—800—1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.सी.एस.पी.)—2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)1.00	(+)67.40	100
41	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	2059—01—053—3383—विशेष मरम्मत भवन	(-)15.00	(+)8.53	56.87
42	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	2059—01—053—3387— मरम्मत—विश्राम गृह	(-)7.00	(+)2.60	37.14
43	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	2059—01—053—3645—शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का रख—रखाव	(-)1.86	(+)1.24	66.67
44	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7094—जेल सुधारों की योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य	(-)3.00	(+)1.92	64.00
45	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235—02—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—5859— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	(-)2.20	(+)2.51	100
46	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235—02—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-)9.02	(+)11.95	100

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुई हैं परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

संक्र.	अनुदान / विनियोग संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	(₹ करोड़ में) बचत
1	2	3	4
I-अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1	05	जेल	29.02
2	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	335.61
3	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	25.13
4	17	सहकारिता	453.46
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	357.85
6	25	खनिज साधन	11.65
7	36	परिवहन	57.01
8	43	खेल और युवक कल्याण	31.23
9	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	141.85
10	62	पंचायत	40.24
11	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.66
12	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	21.30
13	73	चिकित्सा शिक्षा	70.03
14	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	48.12
पूँजीगत (दत्तमत)			
15	06	वित्त	137.26
16	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	4.15
17	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1.49
18	17	सहकारिता	454.55
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.78
20	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	129.46
21	36	परिवहन	7.32
22	38	आयुष	19.98
23	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00
24	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2.40
25	73	चिकित्सा शिक्षा	4.04
26	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	3.40
27	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	47.29
II-विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
28	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	311.95
29	06	वित्त	15.93
30	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2.24
पूँजीगत (प्रभारित)			
31	पी.डी.	लोक ऋण	3912.80
32	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल	37.25
योग			6729.45

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ या अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	(₹ करोड़ में) समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	1	2051	61.74	53.97	87.41
2	1	2251	35.70	10.88	30.48
3	3	2055	4765.71	363.26	7.62
4	3	4055	203.71	27.50	13.50
5	6	2075	33.57	16.91	50.37
6	10	2406	2357.91	479.13	20.32
7	10	4406	60.00	13.47	22.45
8	11	2851	110.10	24.04	21.83
9	11	2852	1210.19	19.27	1.59
10	11	4851	246.10	40.08	16.29
11	11	6851	56.16	32.16	57.26
12	11	6856	250.00	15.00	6.00
13	12	2801	7887.97	837.06	10.61
14	12	4801	637.40	408.80	64.14
15	12	6801	3297.07	838.67	25.44
16	13	2401	3452.14	1855.94	53.76
17	15	2216	282.33	67.19	23.80
18	15	2225	389.27	108.17	27.79
19	15	2235	193.41	35.99	18.61
20	15	2501	234.33	41.40	17.67
21	15	2505	510.00	239.18	46.90
22	15	2515	365.45	141.11	38.61
23	15	4515	60.00	33.64	56.07
24	21	2053	105.50	14.64	13.88
25	22	2217	1376.81	97.42	7.08
26	23	2700	151.98	18.02	11.86
27	23	2701	685.99	129.82	18.92
28	23	4700	2636.81	38.16	1.45
29	23	4701	537.06	16.83	3.13
30	24	3054	1519.60	322.94	21.25
31	24	5053	40.00	26.33	65.82
32	24	5054	2951.95	589.23	19.96
33	26	2205	126.04	25.65	20.35
34	29	2014	697.88	69.17	9.91
35	29	2015	134.25	75.28	56.07
36	30	2515	502.89	122.44	24.35
37	30	4515	1508.55	260.55	17.27
38	32	2220	204.52	19.81	9.69
39	33	2202	1222.59	215.36	17.61
40	33	2225	367.22	78.26	21.31
41	34	2235	210.50	62.07	29.49
42	39	2408	1583.64	346.78	21.90
43	39	6408	133.82	114.05	85.23
44	40	4705	158.37	28.94	18.27
45	41	2202	1886.95	115.43	6.12
46	41	2225	1125.72	329.46	29.27
47	41	2235	764.03	118.37	15.49
48	41	2236	357.84	16.53	4.62
49	41	2401	500.91	184.29	36.79
50	41	2406	371.00	28.22	7.61

संक्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
51	41	2408	46.45	17.84	38.41
52	41	2515	106.84	33.59	31.44
53	41	4202	243.84	15.12	6.20
54	41	4225	489.97	130.29	26.59
55	41	4515	751.34	37.47	4.99
56	41	4700	362.22	143.92	39.73
57	41	4701	297.97	70.11	23.53
58	41	4702	225.10	17.87	7.94
59	41	4705	30.00	10.70	35.67
60	41	4801	166.36	48.25	29.00
61	41	6801	297.77	180.32	60.56
62	42	5054	855.13	154.94	18.12
63	44	2202	1886.53	76.95	4.08
64	45	2702	135.55	11.77	8.68
65	45	4702	656.40	37.95	5.78
66	48	4700	1426.21	487.11	34.15
67	48	4801	209.22	35.37	16.91
68	49	2225	95.23	13.06	13.71
69	50	2401	571.53	116.54	20.39
70	52	2202	829.78	290.37	34.99
71	52	2216	265.00	27.48	10.37
72	52	2225	372.15	137.84	37.04
73	52	2235	204.06	18.04	8.84
74	52	2501	438.26	24.40	5.57
75	52	2505	555.32	260.01	46.82
76	52	2515	350.93	86.45	24.63
77	52	4515	50.00	30.43	60.86
78	53	2217	305.07	53.06	17.39
79	55	2235	2241.65	292.57	13.05
80	55	2236	665.57	23.29	3.50
81	55	4235	77.41	37.33	48.22
82	56	2851	222.50	24.74	11.12
83	59	2515	10.00	10.00	100.00
84	63	2225	62.91	45.03	71.58
85	64	2055	59.94	13.67	22.81
86	64	2202	1121.35	59.75	5.33
87	64	2225	998.33	260.40	26.08
88	64	2235	477.03	143.12	30.00
89	64	2236	365.82	16.65	4.55
90	64	2401	397.81	164.27	41.29
91	64	2515	81.12	25.40	31.31
92	64	4202	97.77	12.50	12.79
93	64	4225	206.72	38.14	18.45
94	64	4515	440.68	13.18	2.99
95	64	4700	457.72	49.67	10.85
96	64	4801	186.31	65.31	35.05
97	64	5054	719.72	195.89	27.22
98	64	6801	344.08	170.22	49.47
99	66	2225	1149.45	369.86	32.18
100	67	2059	461.22	43.76	9.49
101	67	2216	185.20	64.80	34.99
102	67	4059	154.91	12.09	7.80
103	67	4216	41.50	12.61	30.39
104	71	2217	1080.00	281.76	26.09

संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	समर्पण का कुल प्रावधान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
105	71	4217	488.00	25.15	5.15
106	74	2216	809.98	301.28	37.20
107	74	2501	448.20	159.39	35.56
108	74	2505	3731.18	2133.40	57.18
109	74	2515	2943.79	360.58	12.25
110	75	2202	668.73	22.14	3.31
111	75	2235	201.14	18.50	9.20
112	75	3604	4768.58	104.27	2.19
113	75	6217	25.00	25.00	100.00
योग			87178.23	17329.84	19.88

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.)—I मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.9
निधियों की पुनर्विनियोग / समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

संख्या	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	2	3	4	5
1	29	आई.पी., 1, 2, 6, 7, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 41, 44, 55, 56, 64, 67, 72	560.02	वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पश्चात स्वीकृति जारी की गई थीं।
2	25	15, 20, 21, 41, 43, 47, 49, 64, 70, 72, 75	127.35	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	06	10, 27, 41, 77	1774.22	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	05	1, 21, 24, 64, 75	39.66	समर्पण / पुनर्विनियोग राशि का प्रावधान से आधिक्य।
5	01	74	0.02	एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग।
योग	66	32	2501.27	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ल. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.10
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5025	95.54	48.54	95.54	100	50.81
2	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5878	42.43	42.43	42.43	100	100
3	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	29.68	29.68	29.68	100	100
4	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	67.42	67.42	67.42	100	100
5	01—सामान्य प्रशासन	7376	17.00	17.00	27.00	62.96	62.96
6	03—पुलिस	7189	22.77	21.17	22.84	99.67	92.69
7	03—पुलिस	7346	45.51	38.33	51.34	88.66	74.66
8	10—वन	7488	14.14	8.30	15.62	90.51	53.16
9	11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6461	20.00	20.00	20.25	98.77	98.77
10	12—ऊर्जा	3218	490.20	490.20	490.20	100	100
11	12—ऊर्जा	6323	60.00	60.00	60.00	100	100
12	12—ऊर्जा	9250	85.00	85.00	85.00	100	100
13	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6673	33.23	33.23	33.23	100	100
14	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1227	46.46	33.70	46.46	100	72.55
15	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5206	97.71	97.71	160.00	61.07	61.07
16	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5276	14.73	11.62	15.21	96.86	76.43
17	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1238	306.22	293.87	310.22	98.71	94.73
18	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6022	20.00	14.99	20.00	100	74.95
19	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	7705	304.19	290.19	304.19	100	95.40
20	25—खनिज साधन	6606	635.01	635.01	635.01	100	100
21	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6011	28.46	28.46	28.46	100	100

संक्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी—मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी—मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
22	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6344	13.92	13.92	20.80	66.92	66.92
23	34—सामाजिक न्याय	5614	12.00	12.00	12.00	100	100
24	37—पर्यटन	7630	78.03	78.03	113.13	68.97	68.97
25	38—आयुष	1277	43.73	43.70	43.82	99.79	99.72
26	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7211	54.18	54.18	104.68	51.76	51.76
27	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7827	44.58	44.58	44.58	100	100
28	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7881	95.91	95.76	108.80	88.16	88.02
29	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1288	15.30	14.07	22.20	68.90	63.39
30	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9254	33.07	33.07	66.00	50.11	50.11
31	44—उच्च शिक्षा	7643	43.20	36.44	62.70	68.90	58.12
32	46—विज्ञान और टेक्नालॉजी	7614	15.00	15.00	26.00	57.69	57.69
33	46—विज्ञान और टेक्नालॉजी	7615	18.00	18.00	26.00	69.23	69.23
34	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	6497	11.65	9.41	17.57	66.33	53.59
35	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5206	135.87	135.87	200.00	67.94	67.94
36	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7144	11.72	11.72	15.43	76.00	76.00
37	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	78.00	78.00	78.00	100	100
38	55—महिला एवं बाल विकास	6917	11.60	11.60	11.65	99.55	99.51
39	56—ग्रामोद्योग	6328	21.79	21.79	25.64	85.01	85.01
40	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	552.96	668.00	668.00	82.78	100
41	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	7827	43.78	43.78	43.78	100	100
42	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	9254	16.61	16.61	16.61	100	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी—मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी— मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
43	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	8284	23.43	20.38	34.47	67.98	59.13
44	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	8908	63.13	63.13	113.13	55.80	55.80
45	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	1283	38.85	38.85	38.85	100	100
46	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6968	49.85	39.73	68.36	72.92	58.12
47	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	8214	56.41	49.68	87.74	64.29	56.61
48	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6221	207.50	205.89	307.50	67.48	66.95
49	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1237	231.47	223.07	231.47	100	96.37
योग			4497.24	4463.11	5169.01	87.00	86.34

(चोर: वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

**8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 2.3.11; पृष्ठ 53)**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखा का शीर्ष तथा योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	किया गया व्यय	8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	26—संस्कृति	4202-04-800-0701-7722-टैगोर कला संकुल, खण्डवा	2.50	2.50	2.32
2	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	65.05	53.90	0.69
3	55—महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-1201-6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	52.52	52.40	10.27
4	55—महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	825.59	654.32	39.23
5	61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2405-800-1501-5110-बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास	3.33	1.50	1.50
योग			948.99	764.62	54.01

(धोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.12

ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	वर्ष		
				2013-14	2014-15	2015-16
				कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)
1	2	3	4	5	6	7
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779—कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00
2	06	वित्त	6075-800-6787—गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	50.00	50.00
3	06	वित्त	6075-800-6788—राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	25.00	25.00
4	06	वित्त	2071-01-101-9999-एकोकृत मध्यप्रदेश	12.00	12.00	14.00
5	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएँ (सामान्य)—5917—भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	5.98	3.85	4.24
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—6337—भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर. एम.पी.)	9.40	12.50	1.00
7	12	ऊर्जा	6801-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य) — 2967—विजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	107.00	107.00	40.00
योग				2259.38	2210.35	2134.24

(चोर: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.13 (क)
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.14; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

स.क.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
1	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	308.44	308.44
2	30	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	52.15	52.15
3	57	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)			370.59	370.59
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
4	30	4515—800—0101—7252—तालाबों का उन्नयनीकरण	1.00	0.50
5	48	4700—45—001—909—ओंकारेश्वर परियोजना	26.71	23.71
6	48	4700—51—001—2428—निषादन स्थापना (यूनिट एक एवं दो)	1.05	0.61
7	48	4701—11—001—5223—मान परियोजना (नाबाड़)	1.09	0.87
8	48	4701—12—001—4647—जोबट परियोजना (नाबाड़)	1.38	1.17
9	48	4801—80—800—0101—4406—सरदार सरोवर के झूबान से प्रभावित क्षेत्र का भू—अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	3.43	3.43
10	57	4700—64—001—1201—6831—पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जल संसाधन विभाग	2.60	0.58
11	57	4700—64—800—1201—6831—पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जल संसाधन विभाग	2.60	10.15
योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)			39.86	41.02

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेख)

परिशिष्ट 2.13 (ख)
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.14; पेज 54)

(₹ करोड़ में)

स.क.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन				
1	1	2015—निर्वाचन	22.50	22.43
2	2	2055—पुलिस	269.00	125.33
3	3	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.81	5.76
4	5	2056—जेल	9.62	7.58
5	6	2054—खजाना एवं लेखा प्रशासन	16.02	0.25
6	7	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	7.01	3.16
7	8	2029—भू—राजस्व	5.01	0.65
8	10	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	11.21	4.51
9	14	2403—पशुपालन	15.57	9.18
10	17	2425—सहकारिता	1.03	0.84
11	18	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6.61	4.39
12	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	42.16	31.57
13	22	2217—शहरी विकास	16.44	16.52
14	23	2701—मध्यम सिंचाई	2.00	0.30
15	32	2220—सूचना तथा प्रचार	1.97	1.97
16	38	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	10.69	9.69
17	41	2204—खेल तथा युवा सेवायें	1.20	1.20
18	41	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5.05	4.34
19	41	2230—श्रम तथा रोजगार	40.35	14.85
20	41	2403—पशुपालन	2.33	0.20
21	41	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	3.86	2.26
22	43	2204—खेल तथा युवा सेवाएं	9.08	8.06
23	44	2202—सामान्य शिक्षा	36.00	0.84
24	47	2203—तकनीकी शिक्षा	6.48	2.23
25	47	2230—श्रम तथा रोजगार	15.35	4.82
26	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	1.65	0.73
27	64	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1.00	1.13
28	64	2230—श्रम तथा रोजगार	9.71	8.33
29	64	2403—पशुपालन	2.72	0.34
30	64	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	1.14	0.31
31	71	2217—शहरी विकास	82.50	31.10
32	73	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1.85	1.56
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन)			678.92	326.43
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहत कार्य				
33	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.65	0.89
34	48	2401—फसल कृषि—कर्म	1.52	1.52
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहत कार्य)			3.17	2.41

(चोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेख)

परिशिष्ट 2.14
**चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें, जहाँ बचतें
₹ पांच करोड़ या अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 2.4.3; पेज 56)**

(₹ करोड़ में)

स.क्र	योजना का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5
27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
1	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	65.45	12.96	19.80
2	2202-01-001-3930-विकासखण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	62.74	12.17	19.40
3	2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें	1574.29	252.38	16.03
4	2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	2685.75	566.45	21.09
5	2202-01-102-9948-प्राथमिक शाला	210.00	70.37	33.51
6	2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान	115.00	58.71	51.05
7	2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें	275.00	99.62	36.23
8	2202-01-101-0701-1502-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था	65.05	11.15	17.14
9	2202-01-101-0701-8810-सर्व शिक्षा अभियान	1611.25	297.50	18.46
10	2202-01-108-0101-6813-साइकिलों का प्रदाय	52.20	10.00	19.16
11	2202-03-103-0101-7617-जबलपुर में स्थानाच्युत भवनों का निर्माण (पी.एस.एम. कैम्पस)	5.00	5.00	100
12	2202-01-108-0701-6809-कस्तुरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	52.50	37.75	71.90
13	4202-01-800-0701-8810-सर्व शिक्षा अभियान	125.34	106.25	84.77
14	4202-01-201-0101-5776-सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	20.00	100
47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
15	2203-104-0101-8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं का सहायता	55.99	10.23	18.27
16	2203-105-0101-2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	145.02	25.98	17.91
17	2203-105-0701-2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	5.29	5.28	99.81
18	2203-112-0503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	43.67	8.19	18.75
19	2230-03-003-0101- 0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	148.65	12.72	8.55
20	4202-02-104-1401-6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	100.00	25.51	25.51
योग		7418.19	1648.22	22.22

(धोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे एवं विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.15

पूंजीगत अनुभाग से संबंधित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण (संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 56)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	योजना शीर्ष	₹ करोड़ में)
1	2203	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	1869	2.00
2	2203	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	7385	0.70
3	2203	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	2667	0.80
4	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	0717	0.25
5	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6471	4.69
6	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6472	2.00
7	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6475	1.00
8	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6477	0.80
9	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6727	2.29
10	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	8808	0.25
11	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6640	0.01
12	2230	63—मशीन—001—मशीन और संयत्र	6950	0.01
योग				14.80

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के बजट पुस्तक)

परिशिष्ट 3.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि
1	2	3	4
1	2011—संसद /राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014—न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029—भू—राजस्व	104	1.20
4	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047—अन्य राज्यकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055—पुलिस	12	1.76
8	2075—विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2202—सामान्य शिक्षा	2841	1928.32
10	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
11	2205—कला तथा संस्कृति	01	0.15
12	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	08	118.67
13	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
14	2216—आवास	3336	246.81
15	2217—शहरी विकास	684	321.34
16	2220—सूचना तथा प्रचार	35	1.50
17	2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	85	314.11
18	2230—श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
19	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1143	748.03
20	2236—पोषण	09	86.65
21	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
22	2401—फसल कृषि—कर्म	3090	439.99
23	2403—पशुपालन	495	201.86
24	2405—मछली पालन	3536	11.12
25	2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1596	4795.82
26	2425—सहकारिता	644	251.80
27	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1021.62
28	2505—ग्राम रोजगार	34	158.42
29	2702—लघु सिंचाई	280	12.55
30	2801—बिजली	323	975.04
31	2810—अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	28	23.36
32	2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग	657	217.45
33	2852—उद्योग	2987	187.07
34	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
35	3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	397	10.89
36	3452—पर्यटन	185	81.05

संख्या	शीर्ष वार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि
1	2	3	4
37	3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20	57.45
38	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1268	8711.00
39	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	04	2.65
40	4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	11	1.25
41	6425—सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
योग		27612	21359.28

(धोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.2
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार/अवधिवार ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 61)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014—न्याय प्रशासन	04	19.86	02	3.64	-	-	-	-	01	0.44	-	-	07	23.94
2	2015—निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00
4	2040—वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
5	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	03	440.49	02	358.72	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
6	2055—पुलिस	92	119.31	117	38.34	84	49.24	23	24.04	06	5.06	-	-	322	235.99
7	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.17	02	8.58
8	2202—सामान्य शिक्षा	27	351.50	36	352.07	06	15.84	07	4.60	10	6.02	32	22.73	118	752.76
9	2203—तकनीकी शिक्षा	03	2.27	07	16.97	04	8.13	-	-	-	-	-	-	14	27.37
10	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	03	4.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.18
11	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	02	6.76	02	13.12	01	4.43	05	24.27	01	3.08	05	9.99	16	61.65
12	2211—परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.68	02	3.68
13	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	-	-	03	4.05	01	0.38	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
14	2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.72	04	5.36	07	9.08
15	2230—श्रम तथा रोजगार	07	8.27	03	1.69	02	1.42	-	-	-	-	-	-	12	11.38
16	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	01	0.85	-	-	01	1.31	01	4.04	01	0.20	03	2.46	07	8.86

संक्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	2401—फसल कृषि-कर्म	10	31.77	05	8.88	04	4.64	-	-	-	-	03	0.48	22	45.77
18	2403—पशुपालन	04	4.91	01	0.64	05	1.08	04	6.32	01	0.24	06	5.93	21	19.12
19	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	493	344.98	142	375.00	212	181.94	346	337.93	518	171.81	790	140.23	2501	1551.89
20	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	01	42.31	-	-	02	1.34	01	2.90	-	-	04	46.55
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.12
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	23.09
24	नर्मदा घाटी विकास विभाग	03	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	1.30
25	जल संसाधन विभाग	09	26.59	-	-	01	1.00	-	-	-	-	-	-	10	27.59
योग		672	1403.92	322	1223.33	321	269.41	389	403.02	544	215.49	851	204.00	3099	3719.17

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.3
**चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में
मुख्य शीर्ष वार/संवर्गवार विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 61)**

(₹ लाख में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014—न्याय प्रशासन	05	5.43	02	18.51	07	23.94
2	2015—निवाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	01	0.00	-	-	01	0.00
4	2040—वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
5	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
6	2055—पुलिस	14	16.65	308	219.34	322	235.99
7	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
8	2202—सामान्य शिक्षा	34	66.03	84	686.73	118	752.76
9	2203—तकनीकी शिक्षा	09	12.09	05	15.28	14	27.37
10	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.44	02	3.74	03	4.18
11	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	06	7.47	10	54.18	16	61.65
12	2211—परिवार कल्याण	-	-	02	3.68	02	3.68
13	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
14	2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	4.26	05	4.82	07	9.08
15	2230—श्रम तथा रोजगार	09	3.85	03	7.53	12	11.38
16	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	03	2.47	04	6.39	07	8.86
17	2401—फसल कृषि—कर्म	14	9.84	08	35.93	22	45.77
18	2403—पशुपालन	08	7.16	13	11.96	21	19.12
19	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	42	12.19	2459	1539.70	2501	1551.89
20	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.12	04	46.55
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	01	0.00	02	0.12
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.38	01	0.92	03	1.30
24	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	10	27.59	-	-	10	27.59
योग		173	647.19	2926	3071.98	3099	3719.17

(चोर: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.4

2015–16 के दौरान अपलेखित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार विवरण (संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055—पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन तथा वायरलेस सेट	19	5.59
2	2202—सामान्य शिक्षा	निदेशक, लोक शिक्षा, भोपाल	आग से हुई हानि	01	0.70
3	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	107	56.92
योग				127	63.21

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.5
2015–16 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(राशि ₹ में)

संक्र.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी / अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	01	2014–न्याय प्रशासन	चोरी	2011-12	100000	100000
		01			योग	100000	100000
2	383	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2006-07	49014	49014
3	275	01	2055—पुलिस	चोरी	2004-05	18789	18789
4	265	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2004-05	4000	4000
5	201	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2001-02	70000	70000
6	62	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	1996-97	8000	8000
7	18	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	1989-90	26583	26583
8	719	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2010-11	35000	35000
9	669	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	35000	35000
10	765	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	10562	10562
11	673	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	51550	51550
12	756	01	2055—पुलिस	चोरी	2011-12	38149	38149
13	427	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	1996-97	50000	50000
14	733	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2010-11	400	400
15	632	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	1025	1025
16	71	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	1997-98	80000	80000
17	407	01	2055—पुलिस	चोरी	2007-08	12600	12600
18	768	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	3000	3000
19	796	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	80000	80000
20	640	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2009-10	2980	2980
21	94	01	2055—पुलिस	दुर्विनियोग	1990-91	30955	30955
22	770	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	77728	77728
23	779	01	2055—पुलिस	मोटर दुर्घटना	2011-12	58480	58480
		22			योग	743815	743815
24	58	01	2202—सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	1992-93	200000	200000
25	60	01	2202—सामान्य शिक्षा	चोरी	1992-93	11890	11890
26	76	01	2202—सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	2002-03	19615	19615
		03			योग	231505	231505
27	95	01	2225—अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	11320	11320
28	105	01	2225—अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	82921	82921

सं. क्र.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग / हानि/ चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
29	106	01	2225—अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	दुर्विनियोग	1991-92	87971	87971
30	108	01	2225—अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	चोरी	1991-92	73944	73944
		04			योग	256156	256156
31	5	01	2230—श्रम तथा रोजगार (स्कूल प्रशिक्षण संस्थान)	चोरी	2009-10	135528	135528
		01			योग	135528	135528
32	232	01	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	दुर्विनियोग	1995-96	14425	14425
		01			योग	14425	14425
33	501	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1966-67	1085	1085
34	008-22	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1967-72	7194	7194
35	477	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1972-73	1645	1645
36	301-470	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1976-77	13286	11708
37	26-275- 77	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1977-78	77594	77381
38	59-130	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1978-79	28257	25861
39	447-475	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1979-80	12488	11130
40	469	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1981-82	51	51
41	105	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1982-83	2535	2535
42	569	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1983-84	8209	8209
43	53-424	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1983-90	114880	114880
44	107	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1984-85	15411	15411
45	187-349	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1986-87	69103	69103
46	568-475	04	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1987-88	24552	24552
47	114-496 219-652	04	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1988-89	46638	34956

संक्र.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
48	200-539	04	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1989-90	10317	10317
49	498-490 127-472	08	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1990-91	177574	173864
50	134- 137-155	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1991-92	4741	4741
51	466-268 642-495	05	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1992-93	199632	199632
52	473-483 197-476	07	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1993-94	315273	315273
53	641	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1993-95	5616	5616
54	650-542 640-514	04	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1994-95	23985	13327
55	640	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	दुर्विनियोग	1994-95	18696	18696
56	497	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1995-96	11006	11006
57	259-260	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	1995-96	7275	7275
58	127-496	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1995-98	33931	33931
59	273	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1996-01	324366	324366
60	500-482 215-467	09	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1996-97	146816	146816
61	465-484	05	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1997-98	37362	37362
62	647-521	04	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1998-99	31258	28858
63	468-494	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	1999-00	5829	5829
64	503-354	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2000-01	16940	16940
65	442-357	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2002-03	10387	10387
66	440-245	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2003-04	163047	163047
67	226-653	03	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2004-05	85226	85226
68	444-494	06	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2005-06	44876	41722
69	316-474 190-196	09	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2006-07	502521	502521
70	304-195	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2007-08	9508	9508

सं. क्र.	प्रकरण संख्या	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष वार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी /अन्य प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
71	318-645	06	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2008-09	67852	67852
72	313- 536-253	12	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2009-10	159428	159428
73	314-508	17	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2010-11	162486	162486
74	246	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2010-11	2466	2466
75	320-499	14	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2011-12	114779	114779
76	248	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2011-12	25924	25924
77	307-649	36	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2012-13	157502	157502
78	648-545	02	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2012-14	75369	75369
79	302-081	65	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2013-14	82318	82318
80	217	01	2406—वानिकी और वन्य जीवन	चोरी	2013-14	26565	26565
81	262- 697-616	54	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2014-15	58484	58484
82	373-397	07	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	2015-16	5663	5663
83	247-417	18	2406—वानिकी और वन्य जीवन	हानि	निरंक	337056	314542
		356			योग	3885002*	3825339
		388		कुल योग		5366431*	5306768

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

* हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.6

संचालक, नागरिक विमानन विभाग के भण्डार में आयटम्स की कमी
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

संक्र.	नामावली	आयटम्स	कम हुए आयटम्स का मूल्य
1	2	3	4
1	एयरक्राफ्ट किंग एयर सी-90 वीटी-ईएफपी एण्ड वीटी-ईएफजेड	स्पेयर पार्ट्स	6.22
2	एयरक्राफ्ट सुपर किंग एयर बी-200 वीटी-एमपीटी	स्पेयर पार्ट्स स्पेशल टूल्स फेब्रीकेटेड टूल्स	32.10 0.48 9.64
3	बेल 430 हेलिकॉप्टर वीटी-एमपीएस	स्पेयर पार्ट्स	9.06
4	बेल 407 हेलिकॉप्टर वीटी-एमपीयू	स्पेयर पार्ट्स	1.30
5	चेतक हेलिकॉप्टर एसई-3160 वीटी-ईसीई एण्ड वीटी-ईआरटी	स्पेयर टूल्स	1.16
6	डॉफिन हेलिकॉप्टर एसए-365 एन वीटी-ईएनडब्ल्यू	स्पेयर पार्ट्स स्पेशल टूल्स	37.78 0.25
7	यूरो कॉप्टर ईसी-155 हेलिकॉप्टर वीटी-एमपीआर	स्पेयर पार्ट्स	0.10
8	जेट ए-1 ईधन	ईधन	6.30
9	स्नेप ऑन टूल्स ट्रॉली	इम्पॉर्टेड टूल्स	7.92
10	वर्कशॉप रेडियो प्रॉपर्टी आयटम्स	इक्यूपमेंट	1.67
11	वर्कशॉप जनरल टूल्स	जनरल टूल्स	0.28
12	वर्कशॉप प्रॉपर्टी आयटम्स	प्रॉपर्टी आयटम्स	2.17 5.50
योग			121.93

(चोत: विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.7
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	2053—जिला प्रशासन	518.40	77.35	14.92
2	2075—विविध सामान्य सेवाएं	16.45	15.64	95.08
3	2204—खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	146.19	98.45	67.34
4	2205—कला एवं संस्कृति	133.84	64.75	48.38
5	2217—शहरी विकास	3682.80	2201.98	59.79
6	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	113.53	113.53	100
7	2401—फसल कृषि—कर्म	2241.82	244.35	10.90
8	2405—मछली पालन	61.43	12.29	20.01
9	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3447.94	440.58	12.78
10	2701—मध्यम सिंचाई	378.69	65.02	17.17
11	2702—लघु सिंचाई	131.88	124.44	94.36
12	2705—कमान क्षेत्र विकास	5.38	3.36	62.45
13	2810—अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	2.93	0.73	24.91
14	2852—उद्योग	1208.79	1193.85	98.76
15	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	994.63	635.01	63.84
16	3054—सड़कें तथा सेतु	1209.40	401.19	33.17
17	3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	61.94	22.69	36.63
18	4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	189.73	45.80	24.14
19	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.86	23.86	100
20	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	758.32	87.11	11.49
21	4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	915.29	414.73	45.31
22	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	514.30	374.79	72.87
23	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	409.21	170.93	41.77
24	4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	34.67	8.84	25.50
25	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2418.78	2257.47	93.33
26	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4582.27	3994.61	87.18
27	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	720.22	648.92	90.10

संक्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
28	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	923.69	322.12	34.87
29	4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	140.29	16.91	12.05
30	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	6.24	0.82	13.14
31	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	549.49	141.36	25.73
32	4810—नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा	0.20	0.20	100
33	4852—लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100
34	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.98	0.98	100
35	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.85	13.85	100
36	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3363.37	1889.07	56.17
37	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1.30	1.20	92.31
योग		29942.10	16148.78	

(चोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेख)

परिशिष्ट 3.8
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज किया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष वार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	0029—भू—राजस्व	276.86	73.32	26.48
2	0035—कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	577.20	577.20	100
3	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	7922.84	6712.51	84.72
4	0041—वाहनों पर कर	1933.57	281.10	14.54
5	0043—विद्युत पर कर तथा शुल्क	2257.83	313.13	13.87
6	0049—ब्याज प्राप्तियाँ	429.47	71.51	16.65
7	0055—पुलिस	111.50	30.54	27.39
8	0056—जेल	3.28	3.10	94.51
9	0059—लोक निर्माण कार्य	65.71	65.02	98.95
10	0071—पेंशन तथा अन्य सेवा—निवृत्ति लाभों के संबंध में अशंदान और वसूली	42.51	4.46	10.49
11	0075—विविध सामान्य सेवाएं	871.21	159.34	18.29
12	0211—परिवार कल्याण	0.13	0.08	61.54
13	0217—शहरी विकास	28.03	27.89	99.50
14	0220—सूचना तथा प्रचार	0.20	0.12	60.00
15	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	56.55	52.17	92.25
16	0401—फसल कृषि—कर्म	57.20	23.87	41.73
17	0403—पशुपालन	2.94	1.61	54.76
18	0405—मछली पालन	7.20	0.86	11.94
19	0406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	1001.71	204.94	20.46
20	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	2.72	2.15	79.04
21	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	68.63	55.90	81.45
22	0700—मुख्य सिंचाई	59.11	53.02	89.70
23	0701—मध्यम सिंचाई	97.04	21.64	22.30
24	0702—लघु सिंचाई	326.74	326.74	100
25	0801—विजली	190.09	190.09	100
26	0851—ग्राम तथा लघु उद्योग	2.15	0.44	20.47
27	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3059.64	2473.25	80.83
28	0875—अन्य उद्योग	0.01	0.01	100
29	1054—सड़क तथा सेतु	5.08	0.85	16.73
30	1452—पर्यटन	20.64	20.64	100
योग		19477.79	11747.50	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.9
सिंहस्थ 2016 से संबंधित देयताएँ
(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 66)

₹ करोड़ में

स.क्र.	कंपनी / फर्म का नाम	मद	मात्रा	क्रय दिनांक	देयक राशि	देयक की बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भारती एयर टेल लिमिटेड	डाटा सिम	200	27-01-2016	0.02	0.02
2	भारती एयर टेल लिमिटेड	डाटा कार्ड	50	21-03-2016	0.01	0.01
3	एनवॉयस इलेक्ट्रॉनिक्स	वी.एम.एस.	15	25-02-2016	2.06	2.06
4	हनीवेल इंडिया लिमिटेड	सी.सी.टी.वी., उज्जैन	टर्न की प्रोजेक्ट	01-12-2015	21.65	13.00
5	हनीवेल इंडिया लिमिटेड	टेम्पॉररी कन्ट्रोल रूम, रानौजी की छतरी	बैण्डविड्थ चार्ज	02-02-2016	0.19	0.19
6	आईडिया सेलुलर लिमिटेड	डाटा सिम	250	27-01-2016	0.02	0.02
7	मैट्रिक्स कॉस्मेक, गुजरात	ई.पी.बी.ए.एक्स.	2	25-02-2016	0.04	0.04
8	टी.सी.आई.एल.	रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम	टर्न की प्रोजेक्ट	17-06-2015	12.93	12.93
9	यूनीकॉस्ट टेक्नालॉजीज लिमिटेड	मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर	5	11-02-2016	0.02	0.02
योग					36.94	28.29

(चोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट 3.10
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 66)

₹ लाख में

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वित्त विभाग	संचालनालय संस्थागत वित्त	संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अरेरा हिल्स, भोपाल	1793133360	15.57
2	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	सहायक संचालक, मछली पालन, सतना	सहायक संचालक, मछली पालन, सतना	1	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा, सतना	2912010059300	22.88
		सहायक संचालक, मछली पालन, सीधी	सहायक संचालक, मछली पालन, सीधी	3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कलेकट्रेट कैम्पस, सीधी	526102010001771	3.59
						526102010002287	9.10
						526102010001802	0.18
		सहायक संचालक, मछली पालन, शहडोल	सहायक संचालक, मछली पालन, शहडोल	3	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल	685001046095	46.85
						685001034715	42.89
						685001049325	13.70
		सहायक संचालक, मछली पालन, नरसिंहपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, नरसिंहपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरसिंहपुर	11309591707	2.21
		सहायक संचालक, मछली पालन, छिन्दवाड़ा	सहायक संचालक, मछली पालन, छिन्दवाड़ा	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा ए.जी., छिन्दवाड़ा	10587248360	17.15
		सहायक संचालक, मछली पालन, मण्डला	सहायक संचालक, मछली पालन, मण्डला	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मण्डला	10957669796	1.50
		सहायक संचालक, मछली पालन, गुना	सहायक संचालक, मछली पालन, गुना	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुना	53006563179	1.35
		सहायक संचालक, मछली पालन, विदिशा	सहायक संचालक, मछली पालन, विदिशा	1	केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, विदिशा	2004041010008240	2.09

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
		सहायक संचालक, मछली पालन, बैतूल	सहायक संचालक, मछली पालन, बैतूल	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गंज, बैतूल	2029117627	1.18
		सहायक संचालक, मछली पालन, होशंगाबाद	सहायक संचालक, मछली पालन, होशंगाबाद	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मीनाक्षी चौक, होशंगाबाद	10902518322	0.86
		सहायक संचालक, मछली पालन, सागर	सहायक संचालक, मछली पालन, सागर	1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सागर	1564831481	5.11
		सहायक संचालक, मछली पालन, छतरपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, छतरपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छतरपुर	10518259408	18.10
		सहायक संचालक, मछली पालन, टीकमगढ़	सहायक संचालक, मछली पालन, टीकमगढ़	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीकमगढ़	11084743684	47.12
		सहायक संचालक, मछली पालन, दमोह	सहायक संचालक, मछली पालन, दमोह	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दमोह	10479596402	29.06
		सहायक संचालक, मछली पालन, पन्ना	सहायक संचालक, मछली पालन, पन्ना	1	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, पन्ना	8016820382	0.16
		संयुक्त संचालक, मछली पालन, इंदौर	संयुक्त संचालक, मछली पालन, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंदौर	53042786488	4.24
		सहायक संचालक, मछली पालन, धार	सहायक संचालक, मछली पालन, धार	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धार	53019748431	2.86
		सहायक संचालक, मछली पालन, झाबुआ	सहायक संचालक, मछली पालन, झाबुआ	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा, राजवाड़ा झाबुआ	10982689826	0.33
		सहायक संचालक, मछली पालन, खरगोन	सहायक संचालक, मछली पालन, खरगोन	1	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, खरगोन	660001033557	1.53
		सहायक संचालक, मछली पालन, देवास	सहायक संचालक, मछली पालन, देवास	1	बैंक ऑफ इंडिया, देवास	890010100019490	7.59
		सहायक संचालक, मछली पालन, रतलाम	सहायक संचालक, मछली पालन, रतलाम	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा स्टेशन रोड, रतलाम	53010954292	15.78

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
		सहायक संचालक, मछली पालन, शाजापुर	सहायक संचालक, मछली पालन, शाजापुर	1	बैंक ऑफ इंडिया, शाजापुर	955010200010072	1.49
		उप संचालक, मछली पालन, उज्जैन	उप संचालक, मछली पालन, उज्जैन	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा माधव नगर, उज्जैन	10441210999	5.70
		सहायक संचालक, मछली पालन, शिवपुरी	सहायक संचालक, मछली पालन, शिवपुरी	3	पंजाब एवं सिंध बैंक, शिवपुरी	4921000004478	3.70
					मध्य भारत ग्रामीण बैंक, शिवपुरी	8052520157	0.40
					बैंक ऑफ बड़ोदा, शिवपुरी	24910100009954	16.45
		सहायक संचालक, मछली पालन, जबलपुर	सहायक संचालक, मछली पालन, जबलपुर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कमला नेहरू नगर, जबलपुर	10190427620	17.79
	गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	सहायक संचालक, मछली पालन, सिवनी	सहायक संचालक, मछली पालन, सिवनी	1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिवनी	418902010008898	12.00
		सहायक संचालक, मछली पालन, बालाघाट	सहायक संचालक, मछली पालन, बालाघाट	1	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बालाघाट	649001074598	15.93
		संचालनालय, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	प्राचार्य, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	1	पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शिवाजी नगर, भोपाल	591000100314985	450.06
		इंदिरा गांधी महिला एवं बाल अस्पताल गैस राहत, भोपाल	अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल अस्पताल गैस राहत, भोपाल	2	इलाहाबाद बैंक, शाखा हमीदिया रोड, भोपाल	20603842717	0.15
	उच्च शिक्षा	कलेक्टर गैस राहत, भोपाल	कलेक्टर गैस राहत, भोपाल	2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा जुमेराती, भोपाल	20603861138	11.45
					बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अरेरा कॉलोनी, भोपाल	325202011016655	821.16
		अधिष्ठाता, बुद्धेलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर	अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, सागर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेडिकल कॉलेज, सागर	900210210000022	920.66
		दन्त चिकित्सा कॉलेज, इंदौर	प्राचार्य, दन्त चिकित्सा कॉलेज, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एम.वार्ड.एच., इंदौर	53003591326	31.63
		अधिष्ठाता, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर	अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, इंदौर	1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एम.वार्ड.एच., इंदौर	34761344614	116.06

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
5	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सहायक संचालक, उद्यानिकी, सिवनी	सहायक संचालक, उद्यानिकी, सिवनी	2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिवनी	63027906721	0.03
		उप संचालक, उद्यानिकी, नीमच	उप संचालक, उद्यानिकी, नीमच		बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिवनी	60195362878	0.84
		संयुक्त संचालक, उद्यानिकी, सतना	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी, सतना	3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नीमच	467802010233214	1.31
6	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर	प्रबंधक निदेशक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर		केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, नीमच	467802010230657	0.003
		परिक्षेत्रीय उद्योग, कार्यालय, उज्जैन	संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग, कार्यालय, उज्जैन		आई.डी.बी.आई. बैंक, सतना	2003151030006867	0.33
		जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शहडोल	संयुक्त संचालक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शहडोल		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शनवारा, बुरहानपुर	422104000006941	52.87
योग			40	51			2825.37

(चोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in